

Bank of Baroda
Disclosures (on consolidated basis) under Pillar 3 in terms of
New Capital Adequacy
Framework (Basel III) of Reserve Bank of India
As on 31.03.2019

Table DF 1. Scope of Application

The consolidated capital adequacy is based on consolidated financial statements of Bank of Baroda and its subsidiaries, prepared in accordance with guidelines for consolidated accounting and other quantitative methods vide circular DBR.BP.BC No.23/21.04.018/2015-16 dated 1st July 2015 issued by Reserve Bank of India (RBI).

In accordance with the guidelines issued by RBI, the insurance subsidiaries have been excluded from consolidation for the purpose of capital adequacy. The entities which carry on activities of financial nature are considered for consolidation for capital adequacy purpose as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports laid down in RBI guidelines. The Bank consolidates all subsidiaries as defined in Accounting Standard -21 (AS-21) Consolidated Financial Statements on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses. Further, investments in Associates are consolidated using the equity method of accounting as defined by Accounting Standard – 23 (AS -23) and Joint Ventures are consolidated using the proportionate method of accounting as defined by Accounting Standard – 27 (AS -27).

The list of group entities considered for consolidation is given below:

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes / No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
The Nainital Bank Ltd. / India	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
BOB Capital Markets Ltd /India	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
BOB Financial Solutions Limited (erstwhile BOB Cards Ltd.)/ India	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Baroda Sun Technologies Ltd./ India	Yes	Line By Line Basis	No	Not consolidated	NA	Non- Financial Subsidiary
Baroda Global Shared	Yes	Line By Line	No	Not	NA	Non- Financial

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes / No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
services Limited/India		Basis		consolidated		Subsidiary
Baroda Asset Management India Ltd	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Baroda Trustee India Pvt Ltd	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Bank of Baroda (Guyana) Inc. /Guyana	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. /Tanzania	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Bank of Baroda Trinidad &Tobago Ltd. / Trinidad &Tobago	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Bank of Baroda (Ghana) Ltd. /Ghana	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. /New Zealand	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
BOB (UK) Ltd. / UK (Non-Functional)	Yes	Line By Line Basis	No	Not consolidated	NA	Non-Banking
Bank of Baroda (UK) Ltd	Yes	Line By Line Basis	Yes	Line By Line Basis	NA	NA
India First Life Insurance Company Ltd. / India	Yes	Proportionate Consolidation Method	No	Not consolidated	NA	Insurance Joint Venture: Not under scope of Regulatory Consolidation
India International Bank (Malaysia) Bhd. / Malaysia	Yes	Proportionate Consolidation Method	No	Not consolidated	NA	Joint Venture: Not under scope of
India Infra debt Ltd. / India	Yes	Proportionate Consolidation Method	No	Not consolidated	NA	Joint Venture: Not under scope of Regulatory Consolidation
Indo Zambia Bank	Yes	Equity Method	No	Not	NA	Associate: Not

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes / No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Limited / Zambia				consolidated		under scope of Regulatory Consolidation
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank / India	Yes	Equity Method	No	Not consolidated	NA	Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank / India	Yes	Equity Method	No	Not consolidated	NA	Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
Baroda Gujarat Gramin Bank / India	Yes	Equity Method	No	Not consolidated	NA	Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation

(i) Qualitative Disclosure

a. List of Group entities considered for consolidation:

The Nainital Bank Ltd.
BOB Capital Markets Ltd
BOB Financial Solutions Limited (erstwhile BOB Cards Ltd.)/ India
Baroda Global Shared services Limited/India
Bank of Baroda (Botswana) Ltd.
Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
Bank of Baroda (Uganda) Ltd.
Bank of Baroda (Guyana) Inc.
Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.
Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd.
Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
BOB (UK) Ltd. (Non-Functional)
Bank of Baroda (UK) Ltd.
India First Life Insurance Company Limited/ India
Baroda Sun Technologies Ltd.
India International Bank (Malaysia) Bhd.

India Infradebt Ltd.
Indo Zambia Bank Limited
Baroda Asset Management India Ltd
Baroda Trustee India Pvt Ltd
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
Baroda Gujarat Gramin Bank

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosure

c. List of group entities considered for consolidation:

(Rs. in Lakhs)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
The Nainital Bank Ltd. / India	Banking	64378.00	810176.00
BOB Capital Markets Ltd /India	Investment Banking, Institutional Broking & Wealth Management	15377.00	15793.00
BOB Financial Solutions Limited (erstwhile BOB Cards Ltd.)/ India	Consumer Financing for Credit Cards & Personal Loans	24766.00	44160.00
Baroda Global Shared services	Digitization of	1204.00	1414.00

Limited/India	process & Centralized Back Office Operations		
Baroda Sun Technology Limited/India	IT Centre of Excellence	5.00	4.00
Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana	Banking	18867.18	117680.02
Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya	Banking	145760.31	847804.55
Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda	Banking	69118	319735.62
Bank of Baroda (Guyana) Inc. /Guyana	Banking	10070.01	38195.26
Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. /Tanzania	Banking	11999.50	53145.29
Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd. / Trinidad & Tobago	Banking	6095.08	38138.32
Bank of Baroda (Ghana) Ltd. /Ghana	Banking	27994.18	37204.59
Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. /New Zealand	Banking	22570.72	58872.42
BOB (UK) Ltd. / UK (Non Functional)	Non-Banking	10.37	10.37
Bank of Baroda (UK) Ltd / UK	Banking	126261.51	1047442.32
India First Life Insurance Company Ltd. / India	Life Insurance	66346.93	1562632.18

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
India International Bank (Malaysia) Bhd. / Malaysia	Banking	21808.32	31170.86
India Infradebt Ltd. / India	Infrastructure Debt Fund	162762.00	1029365.00
Indo Zambia Bank Limited / Zambia	Banking	50381.05	256269.71
Baroda Asset Management India Ltd	Asset Management	6451.00	7637.00
Baroda Trustee India Pvt Ltd	Holding Company of AMC	9.00	16.00
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank / India	Banking	132287.00	2415373.00
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank / India	Banking	113527.00	1803184.00
Baroda Gujarat Gramin Bank / India	Banking	16240.00	438527.00

- d. **The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:**

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

- e. **The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:**

(Rs. in Lakhs)

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
India First Life Insurance Company Ltd	Insurance	66346.93	44.00%	0.10%

- f. **Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking group:**

With regard to restriction and impediments, local laws and regulation of host countries are applicable.

Table DF 2. Capital Adequacy

Qualitative Disclosures:

- (a) **A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities**

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses. Bank has a well-defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks and to provide appropriate capital so as to evolve

a fully integrated risk/ capital model for both regulatory and economic capital. Capital planning under ICAAP takes into account the demand for capital from businesses for their growth plans and ensures that the Group on an aggregate basis as well as the major legal entities on a standalone basis are sufficiently capitalized for the specified time horizon and hold sufficient capital buffers to withstand stress condition. Moreover stress testing is a key element of the ICAAP and an integral tool in the Risk Management framework that provides management a better understanding of how portfolios perform under adverse economic conditions. The Bank performs Reverse Stress testing across key risk areas to test the stress levels at which capital falls below the internal capital threshold.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, regulatory requirement and by the risk arising from Bank's activities. Capital Planning exercise of the Bank is carried out every year to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at the time of economic recession. In capital planning process the Bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy, policy and risk appetite.
- The future capital planning on a five-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the Bank is to maintain capital as prescribed in the ICAAP Policy (Desired minimum 12.50% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time, Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation Bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with due approval of its Board of Directors. The Capital Adequacy position of the Bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

Quantitative Disclosures:

Capital requirements for various risk categories as at 31st March 2019

Rs. in Lakhs

(b) Capital requirements for Credit Risk	
Portfolios subject to Standardized Approach	3926810.78
Securitization exposures	NIL

(c) Capital requirements for Market Risk	
Using Standardized Duration Approach	
Interest rate risk	149714.22
Foreign exchange risk (including gold)	6213.75
Equity position risk	84195.65

(d) Capital requirements for Operational Risk	
Measured using Basic Indicator Approach	395595.99
Measured using the Standardized Approach (if applicable)	NA

(e) Capital Adequacy Ratios	Consolidated	Standalone
Common Equity Tier I	11.60%	10.38%
Tier I	12.72%	11.55%
Total CRAR	14.52%	13.42%

Table DF 3. General Disclosure in respect of Credit Risk

Qualitative Disclosures:

a. The policy of the Bank for classifying its loan assets is as under:

PAST DUE AND IMPAIRED ASSETS OF THE BANK:

The Non- Performing Assets (NPA) and Non- Performing Investments (NPI) of the Bank as per the IRAC norms of RBI are classified under past due and impaired assets.

THE CREDIT RISK PHILOSOPHY, ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK:

Credit Risk Philosophy:

- To optimize the risk and return envisaged in order to see that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders are

protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of Bank's resources.

- To regulate and streamline the financial resources of the Bank in an orderly manner to enable the various channels to achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the Bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

a. **Risk Management Committee of the Board:**

- It has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the Bank.

b. **Credit Policy Committee (CPC):**

- CPC has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies.
- Formulating policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.

c. Credit Risk Management Cell:

- It deals with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the Bank's overall strategy and credit policy.

The Bank's robust credit risk rating system is based on internationally adopted frameworks and global best practices and assists the Bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allows the Bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

Quantitative Disclosures

Credit exposure include term loans, working capital facilities (i.e. funded facilities like Cash Credit, Demand Loans, Adhoc limits, Credit Substitutes, Non-funded facilities like Letter of Credit, Acceptances and Bank Guarantees) and current exposure for derivatives.

b. Total Gross Credit Exposure

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Fund Based Exposure	Non-Fund Based Exposure	Total Exposure
Total Gross Credit Exposure	65072923.52	10350473.84	75423397.36

c. Geographic distribution of exposures, (Fund based and Non-fund based separately)

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Fund Based Exposure	Non-Fund Based Exposure	Total Exposure
Total Gross Credit Exposure : (Domestic Operations + Domestic Subsidiaries)	51837542.87	8951554.20	60789097.07
Total Gross Credit Exposure : (Overseas Operations + Overseas Subsidiaries)	13235380.65	1398919.64	14634300.29
Total Gross Credit Exposure	65072923.52	10350473.84	75423397.36

Note: Exposure includes credit exposure (funded and non-funded credit limits), investment exposure (including underwriting and similar commitments) and derivatives exposure which includes MTM and Potential Future exposure

d. Industry type distribution of exposures (Consolidated) (Fund based and Non-fund based separately):

(Rs. in Lakhs)

Industry	FB Exposure	NFB Exposure	Total
<u>A. Mining and Quarrying</u>	1030343.86	36685.17	1067029.03
A.1 Coal	140146.93	19170.72	159317.65
A.2 Other	890196.94	17514.45	907711.38
<u>B. Food Processing</u>	1825399.61	135516.96	1960916.57
B.1 Sugar	250219.49	1545.50	251765.00
B.2 Edible Oils and Vanaspati	270652.49	89843.40	360495.88
B.3 TEA	26430.80	514.55	26945.35
B.4 Coffee	942.03	0.20	942.23
B.5 Others	1277154.80	43613.32	1320768.11
<u>C. Beverages</u>	35008.39	4520.54	39528.93
C.1 Tobacco and tobacco products	19263.15	1332.23	20595.38
C.2 Others	15745.24	3188.31	18933.55
<u>D. Textiles</u>	2257163.08	312128.14	2569291.22
D.1 Cotton Textile	1057022.96	34912.05	1091935.01
D.2 Jute Textile	16873.42	2741.63	19615.06
D.3 Handicraft/ Khadi /Silk/Wollen	27520.50	703.79	28224.30
D.4 Other Textile	1155746.20	273770.66	1429516.86
<u>E. Leather and Leather products</u>	47544.57	1643.51	49188.07
<u>F. Wood and Wood products products</u>	99144.04	10389.59	109533.63
<u>G. Paper and Paper products</u>	208717.68	15804.49	224522.17
<u>H. Petroleum</u>	661023.77	847053.12	1508076.89
<u>I. Chemicals and Chemical Products</u>	4064177.97	560015.30	4624193.28
I.1 Fertilizers	760079.56	244038.92	1004118.48

Industry	FB Exposure	NFB Exposure	Total
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	1029405.19	114457.51	1143862.70
I.3 Petro-Chemicals	925657.38	100788.07	1026445.44
I.4 Other	1349035.85	100730.81	1449766.65
J. Rubber Plastic and their Products	547147.40	116574.91	663722.31
K. Glass and Glassware	54373.01	7118.28	61491.29
L. Cement and Cement Products	154428.55	67276.13	221704.68
M. Basic Metal and Metal Products	3028237.33	521869.77	3550107.10
M.1 Iron and Steel	2513306.39	450365.32	2963671.71
M.2 Other Metal and Metal Products	514930.94	71504.46	586435.39
N. All Engineering	1189386.23	1018806.69	2208192.93
N.1 Electronics	57200.61	4035.59	61236.20
N.2 Other Engineering	1132185.62	1014771.10	2146956.72
O. Vehicles, Vehicle parts and Transport Equipments	522870.63	30984.45	553855.08
P. Gems and Jewellery	651179.90	40588.68	691768.58
Q. Construction	941317.05	1607483.79	2548800.84
R. Infrastructure	4751109.51	1750925.87	6502035.38
R.1 Transport	755993.96	32551.46	788545.42
R.1.1 Railways	83983.03	1741.00	85724.03
R.1.2 Roadways	650961.92	25537.59	676499.51
R.1.3 Aviation	0.00	0.00	0.00
R.1.4 Waterways	11181.02	5200.00	16381.02
R.1.5 Others Transport	9867.99	72.87	9940.86
R.2 Energy	2721489.09	1373705.60	4095194.69
R.2.1 Non-Renewable Energy	2247538.79	798727.64	3046266.43
R.2.2 Renewable Energy (Solar, Wind, Hydel)	473950.29	574977.97	1048928.26
R.3 TELECOMMUNICATION	767570.25	177650.65	945220.91
R.4 OTHERS	506056.21	167018.16	673074.37
R.4.1 WATER SANITATION	60380.43	20106.01	80486.44
R.4.2 Social and Commercial Infrastructure	25031.57	241.67	25273.24
R.4.3 Others	420644.22	146670.47	567314.69
S. Other Industries	696097.95	45122.57	741220.52
All Industries	22764670.55	7130507.96	29895178.51
Residuary other advances	42308252.97	3219965.88	45528218.85
T.1 Education Loan	376920.56	15919.72	392840.27
T.2 Aviation Sector	961302.63	320599.81	1281902.44
T.3 Other residuary Advances	40970029.78	2883446.36	43853476.14
Total Loans & Advances	65072923.52	10350473.84	75423397.36

Credit exposure in industries where exposure is more than 5% of the total credit exposure of the Bank (Consolidated) are as follows:

Sr. No.	Industry	Exposure Amount (Rs. in Lakhs)	% of Total Credit Exposure
1	Infrastructure	6502035.38	8.62%
2	Chemicals and Chemical Products	4624193.28	6.13%

e. Residual Contractual Maturity breakdown of Assets:

(Rs. in Lakhs)

Time Bucket	Cash and Balance with Central Banks	Balances with Banks & Money at call & short notice	Advances	Investments	Fixed assets	Other assets	Total
1 D	1705955	2727426	964651	4998658	0	80813	10477503
2-7 D	6383	296960	1216852	84675	0	55023	1659892
8-14 D	4157	92669	1025498	31941	0	4007	1158271
15-30 D	48076	506960	2424680	166683	0	42774	3189174
31 D-2 M	37334	312044	1735342	147375	0	56267	2288362
2-3 M	34605	247276	1535861	373288	0	21406	2212435
3 - 6 M	108277	265098	1971354	477830	0	41504	2864063
6 - 12 M	157637	269011	2350455	615313	0	66766	3459181
1 - 3 Y	347398	17540	22996409	2633887	0	152152	26147386
3 - 5 Y	69298	2230966	4492233	2190440	0	72630	9055566
Over 5 Y	303415	0	7708147	7808632	714371	2855503	19390068
TOTAL	2822535	6965949	48421481	19528720	714371	3448844	81901900

Amount in Lakhs

(f)	Amount of NPAs (Gross)	4910700.25
	Substandard	932419.38
	Doubtful 1	1072706.02
	Doubtful 2	1483027.22
	Doubtful 3	704058.56
	Loss	718489.08

(g)	Net NPA	1600396.19
-----	---------	------------

(h)	NPA Ratios	
	Gross NPAs to Gross Advances	9.74%
	Net NPAs to Net Advances	3.40%

Amount in Lakhs

(i)	Movement of NPA (Gross)	
	Opening balance	5706024.22
	Additions	1360342.20
	Reductions	2201467.04
	Any Other Adjustment (Exchange Diff.)	45800.87
	Closing Balance	4910700.25

Amount In lakhs

(j)	Movement of Provisions		
		General Provision	Specific Provision
	Opening balance	330123.92	3335727.86
	Provision made during the year	6809.27	1108240.48
	Write off / Write-back of excess provisions	4108.55	1170259.18
	Any Other Adjustment (Exchange Diff.)	-1996.86	30622.66
	Closing Balance	330827.78	3304331.82
	Write-offs that have been booked directly to income statement		237680.76
	Recoveries that have been booked directly to income statement		83412.10

Amount In lakhs

	Non Performing Investments	
(k)	Amount of Non-Performing Investments	164920.82
(l)	Amount of provisions held for non-performing investment	148452.63

Amount In lakhs

(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	Opening balance	184676.18
	Provisions made during the period	30544.34
	Write off/ Write-back of excess provisions	18012.13
	Closing balance	197208.39

Amount In lakhs

NPA by major Industries			
		NPA amount of top 5 Industries	
		Infrastructure	18.47% 960747.53
		Basic Metal and Metal Products	10.63% 552989.61
		Textiles	7.07% 362266.77
		Construction	8.38% 435920.42
		All Engineering	5.31% 276147.05
	ii) Specific provision of the above mentioned 5 industries	1614346	
	iii) a- Specific provisions during the current period	323431	
	iii)b- Write offs during the current period	19097.56	
	Amt. of Gross NPAs broken down by significant geographical areas		Gross NPA
		Domestic Operations	4038762.00
		Domestic Subsidiary	41403.43
		International Operations	784515.21
		International Subsidiary	46019.61
	Specific Provision for the above		Specific Provision
		Domestic Operations	2624452.00
		Domestic Subsidiary	15479.03
		International Operations	637874.73
		International Subsidiary	26526.06

TABLE DF-4: CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures:

Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes:

Under Standardized Approach the Bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch (India), ICRA, ACUITE, Brickwork India Pvt Ltd and Infomeric for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the Bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

Types of exposures for which each Agency is used:

The Bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book

Bank's external ratings application framework are as follows:

1. The Bank uses only those ratings that have been solicited by the counterparty. Foreign sovereign and foreign Bank exposures are risk-weighted based on issuer ratings assigned to them.
2. The Bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from the RBI approved ECAI and uses these ratings for calculating Risk weighted assets wherever such ratings are available.
3. The RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, the lower rating, where there are two ratings and the second-lowest rating where there are three or more ratings are used for a given facility.
4. The Bank ensures that the external rating of the facility/borrower has been reviewed at least once by the ECAI during the previous 15 months and is in force on the date of its application.
5. As per RBI guidelines dated 25 August 2016, claims on corporates, AFCs, and NBFC-IFCs having aggregate exposure from Banking system of more than 100 crore which were rated earlier and subsequently have become unrated are risk weighted at 150%.
6. When a borrower is assigned a rating that maps to a risk weight of 150%, then this rating is applied on all the unrated facilities of the borrower and risk weighted at 150%.

Quantitative Disclosures:

The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the three major risk buckets are as under:

Category of Risk Weight	TOTAL (Rs. in Lakhs)
Below 100% risk weight	4,69,10,762.11
100% risk weight	1,63,00,205.74
More than 100 % risk weight	53,75,223.81
CRM Deducted*	68,37,205.70
Total Exposure (FB+NFB)	7,54,23,397.36

* CRM also includes provisions on NPA account

Table DF 5.Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

Qualitative Disclosures:

Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting:

Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever corporate guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk is transferred to the guarantor to the extent of guarantee available.

The Bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the Bank. The securities mentioned below at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants (CRM) for on-balance sheet netting under Basel-III standardized approach for credit risk following Comprehensive Approach of Basel-III norms.

Description of the main types of collateral taken by the Bank:

Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list

4. Bank's Own Deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt Securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
7. Debt Securities- not rated- issued by a Bank- with certain conditions
8. Units of Mutual Funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewelry.

Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness:

- ▶ Individuals (Personal guarantees)
- ▶ Corporate/PSEs
- ▶ Central Government
- ▶ State Government
- ▶ ECGC
- ▶ CGTMSE

Eligible guarantors (as per Basel-III) available as CRM having exposures backed up by Central / State Government, ECGC, CGTMSE, Banks & Corporate/PSEs attracts a lower risk weight than the counter party. Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate or subsidiary, they should enjoy a risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognized by the Bank.

Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken:

Bank has a diversified portfolio of assets which are secured by various types of collaterals which includes eligible financial collaterals listed above, Guarantees by sovereigns and well-rated corporates & fixed assets and current assets of the counterparty.

Quantitative Disclosures:

- a. For each credit risk portfolio, total exposure that is covered by eligible financial collateral, after application of haircut is as under:

Credit Risk Portfolio	(Rs. in Lakhs) Total
Claims on Banks	27779.82
Commercial Real Estate	41976.21
Corporates	4584344.77
Domestic Sovereigns	617.50
Foreign Sovereigns	18.77
Other Assets	5371.13
Public Sector Entity	19896.06
Regulatory Retail Portfolio	1370495.67
Residential Property	26285.25
Specified Categories	760420.52
Primary Dealers	0.00
MDBS, BIS and IMF	0.00
TOTAL	6837205.70

b. For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	In lakhs
	1403966.6

Table DF 6. Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach

	Qualitative Disclosures	
(a)	<i>The general qualitative disclosure requirement with respect to securitization including a discussion of:</i>	
	The bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities.	Nil
	The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets;	Not Applicable

	The various roles played by the bank in the securitization process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider [@] , protection provider [#]) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; [@] A bank may have provided support to a securitization structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules. [#] A bank may provide credit protection to a securitization transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.	Not Applicable
	A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behavior of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2012).	Not Applicable
	A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures;	Not Applicable
(b)	<i>Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:</i>	
	Whether the transactions are treated as sales or financings;	Not Applicable
	Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	Not Applicable
	Changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	Not Applicable
	Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets.	Not Applicable
(c)	<i>In the banking book, the names of ECAIs used for securitization and the types of securitization exposure for which each agency is used.</i>	Not Applicable

	<i>Quantitative Disclosures: Banking Book</i>	
(d)	The total amount of exposures securitized by the bank.	Nil
(e)	For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	Nil

(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	Nil
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year before Securitization.	Not Applicable
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	Nil
(i)	Aggregate amount of:	
	On-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and	Nil
	Off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(j)	Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach	Nil
	Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Nil
Quantitative Disclosures: Trading Book		
(k)	Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	Nil
(l)	Aggregate amount of:	
	On-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	Nil
	Off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.	Nil
(m)	Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:	Nil
	Securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and	Nil
	Securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	Nil
(n)	Aggregate amount of:	
	The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.	Nil
	Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	Nil

Table DF 7. Market Risk in Trading Book:

Qualitative Disclosures:

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse movements in market prices. The following risks are managed under Market Risk in trading book:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits help to check the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines viz. Standardized Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregate Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken into consideration for calculating the Bank's CRAR under Basel-III

Quantitative Disclosures:

Risk Weighted Assets and Capital Charge on Market Risk (as per Standardized Duration Approach) as on 31st March 2019 are as under:

Risk Category	Minimum Capital requirement (Rs. in Lakhs)
Interest Rate Risk	149714.21
Foreign Exchange Risk	6213.75
Equity Position Risk	84195.65
Total Capital Charge	240123.61

Table DF 8. Operational Risk

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events. The definition is "causal based", providing a breakdown of operational risk into four categories based on its sources: (a.) people, (b.) process, (c.) system, and (d) external factors. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks. Legal risk includes, but is not limited to, exposures to fines, penalties

or punitive damages resulting from supervisory actions, as well as ordinary damages in civil litigation, related legal costs and private settlements.

A. Operational Risk Management Framework

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) and Operational Risk Management System (ORMS) in place to facilitate quantitative and qualitative aspects of Operational Risk, in line with Bank's size, nature and complexities of its activities and in compliance with applicable regulatory RBI / Basel III guidelines.

Board of Directors through its various committees i.e. Risk Management Committee of the Board (RMCB), Enterprise Risk Management Committee (ERMC), Product and Process Approval Committee (PPAC), provides guidance and direction for implementation of ORMF and ensures effective management of Operational Risk.

- RMCB is a board level committee responsible for overall Operational Risk profile, ORMF and its continued appropriateness.
- ERMC is a committee of senior management responsible for management and measurement of enterprise-wide risks. The committee is responsible for design and implementation of ERM Framework including ORM framework.
- PPAC is a senior level committee responsible for approval of new product / process / system and approval of modification in existing product / process/ system.
- Operational Risk Management (ORM) Cell is a part of Risk Management Department which is headed by Chief Risk Officer. ORM Cell is an independent function, works in liaison with the business units, corporate management and all other functions and department of the Bank to implement ORMF, codify Bank wide policies, manuals and procedures concerning Operational Risk management and measurement, conduct ORM sensitization across the Bank for development and maintenance of operational risk management culture, develop ORM risk appetite and strategy, Implement Loss Data, RCSA and KRI requirement as per internal policies and regulatory guidelines.

B. Objective of Operational Risk Management:

The objective of the Bank's Operational Risk Management is to manage and control Operational risks in effective manner and establish explicit and consistent standards for Operational Risk Management in the Bank. The ORM aims to:

- Develop a culture for management of Operational Risk at Bank wide level
- Establish risk appetite for the Bank
- Establish Operational Risk Management Strategy of the Bank and issue guidance based on risk profile.
- Ensure responsibilities and accountabilities at all level of staff with adequate number of resources having requisite level of qualification, experience and training in order to effectively manage operational risk.

- Ensure an effective and sound internal control system in the Bank
- Oversee the adequacy of control processes in respect of the continuing appropriateness of the ORMS
- Develop a common understanding of Operational Risk across the Bank, to assess Operational Risk of business, operation and support groups, and take appropriate actions
- Help business and operations to improve internal controls throughout the Bank, thereby reducing the probability and potential impact of losses from operational risk
- Understand significant risks and their strategic implications and effects on the Bank
- Review overall risk profile of the Bank including key issues, risk incidents, limit breaches, internal and external changes having material impact on the risk profile of the Bank, non-compliance with policy and procedures, and pending corrective action plan.

C. Risk Identification, Measurement and Monitoring:

To have a sound operational risk governance structure and manage operational risk the Bank has adopted three lines of Defence mechanism. While day to day operational risk management lies with First Line of Defence (business function, operations and support function), Bank's ORM Cell works as Second Line of Defence and is responsible for designing methodologies for identification, measurement and monitoring of operational risk at the Bank wide level.

ORM cell identifies Operational Risk inherent in the processes, products, systems and external environment of the different business and administrative units of the Bank and submits the analysis reports to ERM, the Risk Management Committee on a periodic basis for directions. Operational Risk exposures (risk and control self-assessment results, operational risk incidents analysis, key risk indicators and open risks) are monitored by the ORM Cell on a regular basis and reported to the business heads in the form of dashboard on a periodic basis.

D. Processes and strategies adopted by the Bank for Operational Risk Management are as under:

- Internal Operational Risk loss data are collected, analyzed and monitored in systematic manner and reported to ERM and RMCB on periodical basis. The loss data collection is done through a web based system by the entities where the incident has happened. Near Miss Events are also captured to identify control gaps and improve risk management practices.
- Bank collects external operational risk Loss Data to understand industry experience and to assess adequacy of our internal controls. In order to gain access of the External Loss database, Bank has taken membership of the CORDEX, a consortium of Indian Banks, established for collection of industry level Operational Risk losses.

- Bank has a comprehensive database of internal and external losses which are collected and monitored as per Basel defined 8 Business Lines and 7 Loss Event Types.
- Bank has implemented RCSA exercise to proactively identify and evaluate the risks involved in products/ processes / systems and to identify control gaps. For new product / process / system owner department conducts assessment of inherent risk and implement control measures to mitigate or minimize the criticality of the risk to bring down under acceptable appetite. For existing products, RCSA assessment is conducted by end users i.e. users at first line of Defense.
- The Risk culture is being inculcated in the organization with the help of various Workshops specifically through RCSA Workshops and other gatherings.

All new products, processes, systems are rolled out after proper scrutiny through RCSA process in which inherent risk are identified and assessed and appropriate controls are incorporated before their launch.

- Bank has employed Key Risk Indicator (KRI) programme to sense the pulse of potential risk on a pro-active basis to enable the Bank to take appropriate action in a timely manner. These KRIs are monitored on defined frequency and identified threshold levels. Corrective Action Plan are initiated by KRI Owner functions for all KRIs, breaching the threshold.

The Bank has implemented a web based Operational Risk Management System for systemic, holistic and integrated management of Operational Risk in our Bank. The system contains module such as Incident Management (IMM), Risk and Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI) and Issues and Action Plan (I&A).

E. Operational Risk Management in Overseas Branches and Banking Subsidiaries:

Operational Risk Management Policy of the Bank is applicable to all branches / offices / corporate office of the Bank including Overseas Branches / Territories, and Domestic and International Subsidiaries, depending upon its business profile, nature, size and complexity of operations. Adoption of group level Operational Risk Management Framework by international subsidiaries and overseas branches / territories is subject of compliance of home-host requirement.

F. Capital requirement for Operational Risk:

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Under Basic Indicator Approach, average gross income of last 3 years is taken into consideration for arriving at Risk Weighted Assets. Accordingly the capital requirement for Operational Risk is **Rs.395595.99 Lakhs**.

Table DF 9. Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book is measured and monitored in accordance with the guidelines laid out in the Bank's Group Asset Liability Management (ALM) Policy which is based on the RBI "Guidelines on Banks' Group Asset Liability Management Framework – Interest Rate Risk" dated 4th November 2010. Interest Rate Risk is measured in terms of changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank i.e. both in the Banking and trading books as described below.

- a. The interest rate risk in the Banking book is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the Bank is analyzed under this approach.

The Earning at Risk is analyzed under different scenarios:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.
3. Basis risk and embedded option risk are assumed as per historical trend.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield.
- Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI.
- Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.

The analysis of Bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations. The economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a quarterly basis.

Quantitative Disclosures:

- b. The increase (decline) in earnings and economic value for change in interest rate shocks are as under:

- (i) **Earning at Risk:** The following table sets forth the impact on the net interest income of changes in interest rates on interest sensitive positions as on 31st March 2019, for a period of one year due to 200 basis point upward movement in the interest rate

(Rs. in Lakhs)

Currency	200 Basis point upward movement in the interest rates
INR	34985.19
EUR	1636.97
GBP	5926.23
USD	-25974.37
Other	-19485.83

- (ii) **Economic Value:** The following table sets forth the impact on economic value of equity of changes in interest rates on interest sensitive positions at 31st March 2019

(Rs. in Lakhs)

Currency	Change in Market Value of Equity due to 200 basis point upward movement in interest rate.
INR	(3,41,140.36)
EUR	(966.13)
GBP	6,305.23
USD	(65,612.97)
Other	(74,058.37)

Table DF 10. General Disclosures for Exposures Related to Counterparty Credit

Risk

Qualitative Disclosures:

- a. Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk

through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending Bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Bank offers many products like derivative products to customers to enable them to deal with their exposures to interest rate and currencies and to earn a margin over the ruling market price for the derivative. All over-the-counter derivative leads to counterparty credit exposures which Bank monitors on a regular basis. The margin loaded for these transactions also take into account of the quality and quantity of the credit risk, and the desired return on equity.

The Bank's exposure to counterparty credit Risk is covered under its Counterparty Credit Risk Policy. Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party and accordingly decides the level of credit risk mitigation required in the transaction.

To mitigate and monitor the counter party credit exposure, the outstanding derivative transactions to corporate are monitored on a monthly basis and that to the Banks on quarterly basis.

Quantitative Disclosures

- b. The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance out standing as on 31st March 2019 is given below:

Particulars	(Rs. in Lakhs)	
	Notional Amounts	Current Credit Exposure (under CEM)
Forward forex Contracts (Less than or equal to 14 days)	4141730.75	85863.77
Forward forex Contracts (Over 14 days)	24159724.85	879932.20
Currency Future	0.00	0.00
Currency Options	159039.56	1775.32
Interest rate future	0.00	0.00
Cross Currency Interest Rate Swap	109053.00	11525.69
Single Currency Interest Rate Swap	4117722.71	66607.61

Table DF – 11: Composition of Capital**(Rs. in Millions)**

Basel III common disclosure template used from 31 ST March 2017				
Sr. No	Items	Eligible Amount	Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	Ref No.
Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	217049.19		A+D
2	Retained Earnings	265689.23		B+E+F+I+(75%H)+Includes Minority share of Rs 1094.5 million of J-Profit for the quarter
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserve)	36759.04		C (less) Revaluation reserve + 45% of Revaluation Reserve
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)			
5	Common Share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)			
6	Common Equity Tier 1 Capital before regulatory adjustment	519497.46	0.00	
7	Prudential Valuation Adjustment			
8	Goodwill (net of related tax liability)			
9	Intangibles other than mortgage-service rights (net of tax liability)			
10	Deferred tax assets	22503.28		
11	Cash-flow hedge reserve			
12	Shortfall of provision to expected loss			
13	Securitization Gain on sale			
14	Gains & losses due to changes in own credit risk on fair values liabilities			
15	Defined-benefit pension fund net			

**Basel III common disclosure template used from
31ST March 2017**

Sr. No	Items	Eligible Amount	Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	Ref No.
	assets			
16	Investment in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)			
17	Reciprocal cross holdings in common equity			
18	Investment in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)			
19	Significant investment in the common stock of Banking financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short position (amount above 10% threshold)			
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)			
21	Deferred tax assets arising from temporary difference (amount above 10% threshold, net of related tax liability)			
22	Amount exceeding the 15% threshold			
23	of which : significant investments in the common stock of financial entities			
24	of which : mortgage servicing rights			
25	of which : deferred tax assets arising from temporary differences			
26	National specific regulatory adjustment (26a+26b+26c+26d)			
26a	of which : Investment in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries			
26b	of which : Investment in the Equity Capital of the unconsolidated non-financial subsidiaries			
26c	of which : Shortfall in the Equity Capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank			
26d	of which : Unamortised pension			

**Basel III common disclosure template used from
31ST March 2017**

Sr. No	Items	Eligible Amount	Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	Ref No.
	funds expenditure			
27	Regulatory adjustment applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Tier 1 and Tier 2 to cover deduction			
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	22503.28	0.00	
29	Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	496994.18		
	Additional Tier 1 capital : instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	43500.00		
31	of which : classified as equity under applicable accounting standards (PNCPS)			
32	of which : classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual Debt Instruments)	43500.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out form Additional Tier 1	4834.50	16115.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET 1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			
35	of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustment	48334.50	16115.00	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments			
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	312.10		{PART OF Q+S}
39	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)			

**Basel III common disclosure template used from
31ST March 2017**

Sr. No	Items	Eligible Amount	Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	Ref No.
40	Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short position)			
41	National specific regulatory adjustment (41a+41b)			
41a	of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries			
41b	of which : Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank			
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	312.10	0.00	
44	Additional Tier 1 capital (AT1) capital	48022.40		
44a	Additional Tier 1 capital (AT1) reckoned for capital adequacy	48022.40		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1)	545016.58		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	35565.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	7500.00	25000.00	PART OF T (After Grandfathering)+V
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)			
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
50	Provisions	34206.40		G and other Provisions
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	77271.40		
52	Investments in own Tier 2 instruments			
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	50.80	0	{PART OF Q+S}

**Basel III common disclosure template used from
31ST March 2017**

Sr. No	Items	Eligible Amount	Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	Ref No.
54	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)			
55	Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)			
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)			
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries			
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank			
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	50.80		
58	Tier 2 capital	77220.60		
59	Total Capital (TC = T1 + T2) (45+58c)	622237.18		
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	4285858.21		
60a	of which: total credit risk weighted assets	370933.81		
60b	of which: total market risk weighted assets	24896.51		
60c	of which: total operational risk weighted assets	36376.64		
Capital ratios and buffers				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.60%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.72%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	14.52%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	11.60%		

**Basel III common disclosure template used from
31ST March 2017**

Sr. No	Items	Eligible Amount	Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	Ref No.
65	of which: capital conservation buffer requirement (as a percentage of risk weighted assets)	1.875%		
66	of which: Bank specific countercyclical buffer requirement	0.00		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%		Inc CCB
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%		Inc CCB
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%		Inc CCB
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	74452.80		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	34206.40		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach (1.25% of 3701288.47)	46266.11		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)				

**Basel III common disclosure template used from
31ST March 2017**

Sr. No	Items	Eligible Amount	Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	Ref No.
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NIL		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NIL		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	48334.50		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	11280.50		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	43065.00		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	17500.00		

Notes to Template		(Rs. in million)
Row	Particular	
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.23
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	74452.8
	Maximum eligibility limit as per RBI Circular no. RBI/2015-16/331 RBI/2015-16/331 dt. March 1, 2016	51949.75
	Deduction of Net DTA in excess of eligibility limit	22503.28
	Total as indicated in row 10	74453.03
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	100.10
	(ii) Increase in risk weighted assets	250.25
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	34206.39
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 Capital	0.00
	Total of row 50	34206.39

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements**(Rs in Million)**

	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		31.03.2019	31.03.2019
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	5303.64	5303.64
	Reserves & Surplus	494237.56	482600.18
	Minority Interest	3413.65	3413.65
	Share Application Money Pending Allotment **	50420.00	50420.00
	Total Capital	502954.85	491317.48
ii	Deposits	6655886.85	6655349.24
	of which: Deposits from Banks	551715.71	551733.17
	of which: Customer deposits	6104171.14	6103616.07
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0
	of which: Deposit from branches in India	5251427.05	5251800.30
	of which: Deposit from branches outside India	1404459.80	1403548.95
iii	Borrowings	688675.32	654719.67
	of which: From RBI	275000.00	275000.00
	of which: From Banks	71191.13	71867.47
	of which: From other institutions & agencies	79301.85	44586.01
	of which: borrowing outside India	139002.34	139086.20
	of which: Capital instruments	124180.00	124180.00
iv	Other liabilities & provisions	298782.43	232040.69
	Total	8196719.45	8083847.09
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	282253.46	282241.80
	Balance with Banks and money at call and short notice	696594.94	692599.75
ii	Investments:	1957162.40	1876145.86
	of which: Government securities	1714563.49	1699081.26
	of which: Other approved securities	35496.00	127.86
	of which: Shares	33715.79	22672.02
	of which: Debentures & Bonds	85375.87	64035.80
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	10179.54	12990.77
	Of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	77831.72	77238.15
iii	Loans and advances	4842148.11	4820200.15
	of which: Loans and advances to Bank	535608.14	535608.14
	of which: Loans and advances to customer	4306539.97	4284592.01
iv	Fixed assets	71437.08	71294.36
v	Other assets	344884.39	341365.18
	of which: Goodwill and intangible assets	270418.87	266901.25

(Rs in Million)

	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
	of which: Deferred tax assets	74465.52	74463.94
vi	Goodwill on consolidation	2239.08	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0
	Total Assets	8196719.45	8083847.08

Step: 2

(Rs in Million)

	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
		31.03.2019	31.03.2019	
A	Capital & Liabilities			
i	Paid-up Capital	5303.64	5303.64	
	of which: Amount eligible for CET1	5303.64	5303.64	A
	of which: Amount eligible for AT1			
	Share Application Money Pending Allotment **	50420.00	50420.00	
ii	Reserves & Surplus	494237.56	482600.18	
	STATUTORY RESERVE	98014.19	97644.94	B
	CAPITAL RESERVE	61939.68	61939.68	C
	SHARE PREMIUM	161325.55	160753.55	D
	General Reserve	0.00		
	Special Reserves u/s 36(i)(viii)(a) of I.T.Act,1961	0.00		
	Special Reserve u/s 36(l)(VIII) of I.T. act	49724.45	49724.45	E
	Revenue & other reserve	88524.11	78379.68	F
	Investment reserve account	631.62	631.62	G
	Foreign Currency Translation Reserve	22983.94	23481.99	H
	Unallocated Profit	11094.02	10044.29	I
	Minority Share	3413.65	3413.65	J
	Total Capital	553374.85	541737.48	
ii	Deposits	6655886.85	6655349.24	
	Demand Deposit from Bank	10383.64	10383.65	
	Demand Deposit from Others	471917.39	472069.96	
	SAVINGS BANK DEPOSITS	1821200.70	1821195.70	
	Term Deposit from Banks	541332.07	541349.52	

(Rs in Million)

	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
	Term Deposit from Others	3811053.06	3810350.42	
	Deposit from branches in India	5251427.06	5251800.30	
	Deposit from branches outside India	1404459.79	1403548.95	
iii	Borrowings	688675.32	654719.67	
Schedule 4	RBI (u/s 19 of RBI Act)	275000.00	275000.00	
	From Banks	71191.13	71867.47	
	Other institutions and agencies	79301.85	44586.01	
	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	59615.00	59615.00	U
	Hybrid debt capital instrument issued as bonds			V
	Subordinated Bonds	64565.00	64565.00	T
	Borrowings outside India	139002.34	139086.20	
iv	Other liabilities & provisions	298782.43	232040.69	
Schedule 5	of which : Bills Payable	19266.90	19263.87	
	of Which : Inter Office Adjustment (Net)	10831.25	10831.25	
	of Which : Deferred tax liability	24.36	24.04	
	of Which : Interest Accrued	38481.04	37297.70	
	of Which : Contingent Provision against Standard Advances	32210.081	32121.19	X
	of Which : Other (including provision)	197968.77	132502.64	W
	Total Liabilities	8196719.45	8083847.08	
B	Assets			
i	Total Cash & Bank Balances	978848.40	974841.54	
	Cash and balances with Reserve Bank of India	282253.46	282241.80	
	Balance with Banks and money at call and short notice	696594.93	692599.74	
ii	Investments	1957162.40	1876145.86	
Schedule 8	Govt. Securities	1714563.49	1699081.26	N
	Other approved securities	35496	127.86	O
	Shares	33715.78	22672.02	P
	Debentures & Bonds	85375.86	64035.80	Q
	Subsidiaries and/or JVs India & ABOROAD	10179.54	12990.77	R
	Other investments	77831.716	77238.15	S
iii	Loans and advances	4842148.11	4820200.15	
	BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	264010.02	263907.32	
	CASH CREDITS, OVERDRAFTS & LOANS REPAYABLE ON DEMAND	2079424.13	2079226.07	
	TERM LOANS	2498713.94	2477066.76	

(Rs in Million)

	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
iv	Fixed assets	71437.08	71294.36	
v	Other assets	344884.39	341365.18	
Schedule 11	of which: Goodwill and intangible assets			L
	Out of which: Goodwill			
	Other intangibles (excluding MSRs)	270418.87	266901.25	
	Deferred tax assets	74465.52	74463.93	M
vi	Goodwill on consolidation	2239.08	0.00	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	8196719.45	8083847.08	

Step-3

Common Equity Tier 1 capital (CET1): instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by Bank	Ref No. (with respect to DF - 12: Step 2)
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non - joint stock companies) capital plus related stock surplus	217049.19	A+D
2	Retained earnings	265689.23	B+E+F+I+(75%H)+Includes Minority share of Rs. 1094.5 million of J-Profit for the quarter
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	38998.12	C (less) Revaluation reserve + 45% of Revaluation Reserve
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	521736.54	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		

Table DF -13 Main Features of Regulatory Capital Instruments:

Disclosures pertaining to debt capital instruments and the terms and conditions of debt capital instruments have been disclosed separately. Click [here](#) to access the disclosures.

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

The details of Capital instruments are separately disclosed. Click the related links to view the terms and conditions of the capital instruments.

Sr. No	Instruments
1	TIER I (IPDI) SR –II
2	TIER I (IPDI) SR –III
3	Basel III AT I SR-V
4	Basel III AT I SR-VI
5	Basel III AT I SR-VII
6	Basel III AT I SR-VIII
7	Basel III AT I SR-IX
8	BOND SERIES –XXI
9	BOND SERIES –XI
10	TIER I (IPDI) SR –IV
11	BOND SERIES –XII
12	BOND SERIES –XIII
13	BOND SERIES –XIV
14	BOND SERIES –XV
15	BOND SERIES –XVI
16	BOND SERIES –XVII
17	BOND SERIES –XVIII
18	BOND SERIES –XIX
19	BOND SERIES –XX

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

As Bank of Baroda is a Public Sector Bank Table DF -15 is not applicable to us as per Circular No DBOD.NO.BC.72/29.67.001/2001-12 dated January 13, 2012 of the Reserve Bank of India.

Table DF-16: Equities- Disclosure for Banking Book Positions

Group makes direct investments in public and private equity securities; Also investments in debt securities and loans, public and private equity securities and real estate entities. These investments are typically longer-term in nature and are primarily held for capital appreciation purposes; they are therefore classified for regulatory capital purposes as banking book equity investments.

The general qualitative disclosure (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:

All equity HTM investments are in Foreign and Indian Subsidiaries, JVs and RRBs. These are of Strategic in nature

Valuation methodology of HTM

Investments classified under Held to Maturity category need not be marked to market and will be carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium should be amortized over the period remaining to maturity. Since the Bank has consistently been following the Weighted Average Cost (WAC) method of accounting, the WAC will be the acquisition cost for the purpose of shifting and also for the calculation of premium for amortization.

Bank is recognizing any diminution, other than temporary, in the value of their investments in subsidiaries/ joint ventures, which are included under Held to Maturity category and provide there for. Such diminution is determined and provided for each investment individually.

	Item	Amount (Rs. in Lakhs)
1	Investments	361010.94
1.1	As per Balance Sheet	361010.94
1.2	Fair Value	361010.94
	For quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	-
2	Type of investment	
2.1	HTM	
2.1.1	Publicly traded	-
2.1.2	Privately held	361010.94
3	Cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	
4	Total unrealised gains (losses)*	-
5	Total latent revaluation gains (losses)**	-
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	

	Item	Amount (Rs. in Lakhs)
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the Bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	

DF-17- Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure

The leverage ratio has been calculated using the definitions of capital and total exposure. The Bank's leverage ratio, calculated in accordance with the RBI guidelines under consolidated framework is as follows:

LEVERAGE RATIO AS ON 31.03.2019		
BANK OF BARODA (GROUP)		
DF-17 Summary Comparison of Accounting Assets Vs. Leverage Ratio Exposure Measure		
Sr. No.	Item	(In Rs. Millions)
1	Total Consolidated Assets as per published financial statements	80,83,846.49
2	Adjustment for investments in Banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation.	
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure.	22,815.38
4	Adjustments for derivative financial instruments	1,05,018.44
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	
6	Adjustment for off balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposure)	6,74,482.23
7	Other adjustments	
8	Leverage ratio exposure	88,40,531.78

DF-18 - Leverage Ratio Common disclosure template

		(Rs. in Millions)
Leverage Ratio Common Disclosure Template		Mar-19
	Item	Leverage Ratio Framework
On-Balance sheet Exposures		
1	On-Balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	80,83,846.49
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-22,815.38
3	Total On-balance sheet exposures	80,61,031.11
Derivative Exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	42,003.35
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	63,015.08
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin in derivatives transactions)	-
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deduction for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures	1,05,018.44
Securities Financing Transaction Exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposure	-
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	21,10,605.20
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-14,36,122.97
19	Off-Balance sheet items	6,74,482.23
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	5,45,016.58
21	Total Exposures	88,40,531.78
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	6.16%

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
भारतीय रिज़र्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III) के पिलर 3 के अंतर्गत
दिनांक 31.03.2019 को प्रकटीकरण (समेकित आधार पर)

टेबल डीएफ 1. अनुप्रयोग का क्षेत्र

समेकित पूंजी पर्याप्तता बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं इसकी अनुषंगियों की समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित है जिसे समेकित लेखा तथा मात्रात्मक पद्धति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्र डीबीआर.बीपी. बीसी नं. 23/21.04.018/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर तैयार किया गया है।

आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बीमा अनुषंगियों को समेकन से अलग रखा गया है। ऐसी इकाइयां जो वित्तीय प्रकृति का कार्य करती हैं उन्हें पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से समेकन हेतु लिया गया है, जैसा कि समेकित विवेकसम्मत रिपोर्ट तैयार करने संबंधी क्षेत्र को लेकर आरबीआई के दिशा-निर्देशों में इसका उल्लेख है। बैंक, लेखा मानक -21 (एस-21) समेकित वित्तीय विवरण में वाक्य दर वाक्य आधार पर परिभाषित सभी अनुषंगियों को उनकी आस्तियों की वस्तुओं, देयताएँ, आय और व्यय को जोड़ते हुए समेकित करता है। साथ ही सहयोगियों में निवेश का समेकन लेखा मानक - 23 (एस-23) द्वारा परिभाषित लेखांकन की इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए किया गया है तथा संयुक्त उद्यमों का समेकन लेखा मानक - 27 (एस-27) द्वारा परिभाषित लेखांकन की समानुपातिक विधि का उपयोग करते हुए किया गया है।

समूह के ऐसी इकाइयों की सूची जिन्हें समेकन के लिए शामिल किया गया है, निम्नानुसार है:

इकाई का नाम/निगमित देश	क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति का वर्णन	क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति का वर्णन	समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन	यदि समेकन केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकित किया गया है तो कारणों का वर्णन
नैनीताल बैंक लि./ भारत	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बॉब कैपिटल मार्केट लि./ भारत	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बॉब फाइनेंसिएल सोल्यूशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब कार्ड्स लिमिटेड) भारत	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बड़ौदा सन टेक्नोलोजी लिमिटेड / भारत	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड/ भारत	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय अनुषंगी
बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि./ बोत्सवाना	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि./ केन्या	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि./ यूगांडा	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं



बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) लि./ गयाना	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि./ तंजानिया	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो लि./ त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि./ घाना	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लि./ यू.के. (कार्य नहीं कर रही है)	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	गैर-बैंकिंग
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लि.	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	हां	वाक्य दर वाक्य आधार	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडियाफर्स्ट लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि./ भारत	हां	अनुपाती समेकन पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यम : विनियामक समेकन दायरे में नहीं है
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी / मलेशिया	हां	अनुपाती समेकन पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : विनियामक समेकन दायरे में नहीं है
इंडिया इंफ़्रास्ट्रक्चर लि./ भारत	हां	अनुपाती समेकन पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : विनियामक समेकन की परिधि में नहीं है
इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड / जांबिया	हां	इक्विटी पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : विनियामक समेकन की परिधि में नहीं है
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक / भारत	हां	इक्विटी पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : विनियामक समेकन की परिधि में नहीं है
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / भारत	हां	इक्विटी पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : विनियामक समेकन की परिधि में नहीं है
बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक / भारत	हां	इक्विटी पद्धति	नहीं	समेकित नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : विनियामक समेकन की परिधि में नहीं है

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

ए. समूह की ऐसी इकाइयों की सूची जिन्हें समेकन के लिए शामिल किया गया है:

नैनीताल बैंक लि.
बॉब कैपिटल मार्केट लि.
बॉब फाइनेंसिएल सोल्यूशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब कार्ड्स लिमिटेड) / भारत
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेस लिमिटेड/ भारत
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) लि.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो लि.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लि. (कार्य नहीं कर रही है)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लि.
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि./ भारत
बड़ौदा सन टेक्नोलोजी लि.
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड
बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड
बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक

बी. समूह की ऐसी इकाइयों की सूची जिन्हें समेकन के विनियामक तथा लेखांकन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए शामिल नहीं किया गया है:

इकाई का नाम / निगमित देश	इकाई का प्रमुख कार्य	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक के धरण का (%)	इकाई के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश का विनियामक प्रबंध	कुल तुलनपत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)
शून्य					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

सी. समेकन के लिए शामिल की गई समूह की इकाइयों की सूची

इकाई का नाम/निगमित देश (जैसा कि उपरोक्त (i) में दर्शाया गया है)	इकाई का प्रमुख कार्य	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)
नैनीताल बैंक लि./ भारत	बैंकिंग	64378.00	810176.00
बॉब कैपिटल मार्केट लि./ भारत	निवेश बैंकिंग, संस्थागत ब्रोकिंग एवं धन प्रबंधन	15377.00	15793.00
बॉब फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती बॉब कार्ड्स लि.)/ भारत	क्रेडिट कार्ड एवं वैयक्तिक ऋण के लिए उपभोक्ता वित्तपोषण	24766.00	44160.00
बड़ौदा ग्लोबल शोर्ड सर्विस लिमिटेड / भारत	प्रक्रिया का डिजिटलीकरण एवं केंद्रीकृत बैंक ऑफिस परिचालन	1204.00	1414.00
बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड / भारत	उत्कृष्टता का आईटी केंद्र	5.00	4.00
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि./ बोत्सवाना	बैंकिंग	18867.18	117680.02
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि./ केन्या	बैंकिंग	145760.31	847804.55
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि./ यूगांडा	बैंकिंग	69118	319735.62
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) लि.	बैंकिंग	10070.01	38195.26
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि./ तंजानिया	बैंकिंग	11999.50	53145.29
बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो लि./ त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो	बैंकिंग	6095.08	38138.32
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि./ घाना	बैंकिंग	27994.18	37204.59



बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड	बैंकिंग	22570.72	58872.42
बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लि./ यू.के. (कार्य नहीं कर रही है)	गैर-बैंकिंग	10.37	10.37
बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लि./ यू.के.	बैंकिंग	126261.51	1047442.32
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि./ भारत	जीवन बीमा	66346.93	1562632.18
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी / मलेशिया	बैंकिंग	21808.32	31170.86
इंडिया इंफ्राडेवट लि./ भारत	इंफ्रास्ट्रक्चर डेवट फंड	162762.00	1029365.00
इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड/ जांबिया	बैंकिंग	50381.05	256269.71
बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड	एसेट मैनेजमेंट	6451.00	7637.00
बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एएमसी की होल्डिंग कम्पनी	9.00	16.00
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक / भारत	बैंकिंग	132287.00	2415373.00
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ भारत	बैंकिंग	113527.00	1803184.00
बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक / भारत	बैंकिंग	16240.00	438527.00

डी. उन सभी अनुषंगियों में पूंजीगत न्यूनता की कुल राशि जो समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं की गई हैं अर्थात जो घटा दी गई है :

इकाइयों का नाम/ निगमित देश	इकाई का प्रमुख कार्य	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक धारण का (%)	पूंजीगत कमियां
शून्य				

ई. जोखिम-भारित बीमा इकाइयों में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य) :

इंश्योरेंस इकाइयों का नाम/ निगमित देश	इकाई का प्रमुख कार्य	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक धारण का % / वॉटिंग शक्ति का अनुपात	जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने का विनियामक पूंजी का मात्रात्मक प्रभाव
इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	बीमा	66346.93	44.00%	0.10%

एफ. बैंकिंग समूह में नियामक पूंजी अथवा निधियों के अंतरण में कोई प्रतिबंध या अड़चन: प्रतिबंध तथा अड़चनों के संबंध में मेजबान देशों का स्थानीय कानून तथा विनियम लागू है.

टेबल डीएफ 2. पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(ए) बैंक की वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों को संबल प्रदान करने हेतु इसकी पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन का आकलन करते हुए बैंक के दृष्टिकोण की सारांश चर्चा

बैंक जमाकर्ताओं, समान्य ऋणदाताओं तथा हितधारकों को अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजरों, व्यवसाय इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचाव के लिए पूंजी की व्यवस्था रखता है. बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए एकीकृत जोखिम/पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से विकसित किया जा सके. आईसीएएपी के अंतर्गत पूंजी नियोजन व्यवसाय से पूंजी की मांग उसके संवर्धन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सकल आधार के साथ साथ प्रमुख विधिक इकाई के रूप में स्टैंडअलोन आधार पर भी यह समूह विनिर्दिष्ट समय के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है तथा दबाव की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित पूंजीविद्यमान है. इसके अतिरिक्त दबाव परीक्षण आईसीएएपी का एक प्रमुख

विषय तथा जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक अभिन्न साधन है जो कि प्रबंधन को इस विषय में बेहतर समझ प्रदान करता है कि पोर्टफोलियो विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में किस तरह से निष्पादन करता है. बैंक, प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में उस दबाव स्तर के परीक्षण के लिए रिवर्स दबाव परीक्षण करता है जिस पर पूंजी, आंतरिक पूंजी सीमा से नीचे आ जाती है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धति, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है.

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतों तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है. बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी, पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है. पूंजीगत आयोजना की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता.
- कारोबार रणनीति, नीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले पांच वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है.

पूंजीगत योजना को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है. बैंक की नीति आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम अपेक्षित 12.50% पूंजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूंजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूंजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूंजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके. अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर-1 या टियर-2 में पूंजी संगृहीत करता है. बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

31 मार्च, 2019 को विविध जोखिम श्रेणियों के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

(रु. लाख में)

(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
मानकीकृत पद्धति के अध्याधीन संविभाग	3926810.78
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए	
ब्याज दर जोखिम	149714.22
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	6213.75
इक्विटी स्थिति जोखिम	84195.65

(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
आधारभूत संकेतक पद्धति का प्रयोग करते हुए माप	395595.99
मानकीकृत पद्धति का प्रयोग करते हुए माप (यदि लागू हो)	लागू नहीं

(ई) पूंजी पर्याप्तता अनुपात	समेकित	स्टैण्डअलोन
कॉमन इक्विटी टियर I	11.60%	10.38%
टियर I	12.72%	11.55%
कुल सीआरएआर	14.52%	13.42%

डीएफ 3. ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए इसकी निम्नलिखित नीति है:

बैंक की विगत में देय और खराब आस्तियां:

भा. रि. बैं. के आईआरएसी मानदंडों अनुसार बैंक की अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और अनर्जक निवेश (एनपीआई) विगत देय और खराब आस्तियों के तहत वर्गीकृत हुए हैं.

बैंक का क्रेडिट जोखिम दर्शन, आर्किटेक्चर और प्रणाली.

ऋण जोखिम दर्शन

- जोखिम प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा, कापोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोत्तरी हो तथा सभी हितधारकों के हित संरक्षित हों.



- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों का क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनाये ताकि विभिन्न चैनलों को जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके.
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन के मामले में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में सुनियोजित वृद्धि से लक्ष्य प्राप्त किये जायें.
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना.
- विभिन्न उधारकर्ताओं को आवश्यकता आधारित एवं समय पर ऋण उपलब्ध कराना.
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठाते हुए ऋण प्रबंधन कौशल को प्रभावी बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण सविभाग को गुणवत्ता-युक्त बनाया जा सके.
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं तत्परता के साथ विस्तृत दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए प्रस्तावों पर कार्रवाई करना.
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य प्राधिकारियों के एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन करना.

बैंक की संरचना और प्रणालियां:

ए. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति:

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए निदेशक मंडल द्वारा इसका गठन किया गया है.

बी. ऋण नीति समिति (सीपीसी)

- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सीपीसी का गठन किया गया है.
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना.

सी. ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष:

- यह कक्ष निर्धारित सीमाओं के तहत पहचान, आकलन, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है.
- बोर्ड/नियामकों आदि द्वारा तैयार किए गए जोखिम मानदंड तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना.
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एमआईएस का विकास करना और ऋण सविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान तथा कमियों को पूरा करना.
- सविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण सविभाग के लचीलेपन का परीक्षण करना, आदि.
- निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन पर ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना.

जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और/अथवा आकलन पद्धति:

बैंक के पास अपने ऋण जोखिम के लिए मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली उपलब्ध है. ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋण नीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न मानदंडों को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमतों को लचीला बनाना शामिल है.

बैंक की मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती है और इस प्रकार यह प्रणाली बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ऋण बाध्यता में सावधि ऋण, कार्यकारी पूंजी सुविधाएं (यानी नकदीगृत सुविधाएं जैसे नकदी ऋण, मांग ऋण, तदर्थ सीमा, ऋण विकल्प, गैर-निधि सुविधाएं जैसे साख पत्र, स्वीकृतियां एवं बैंक गारंटियां) तथा व्यूप्नियों हेतु मौजूदा जोखिम.

बी. कुल सकल ऋण एक्सपोजर

(रु. लाखों में)

विवरण	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर- निधि आधारित एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	65072923.52	10350473.84	75423397.36

सी. एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण, (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित अलग-अलग)

(रु. लाखों में)

विवरण	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर- निधि आधारित एक्सपोजर	कुल एक्सपोजर
कुल सकल ऋण एक्सपोजर: (घरेलू परिचालन +घरेलू अनुषंगियां)	51837542.87	8951554.20	60789097.07
कुल सकल ऋण एक्सपोजर: (विदेशी परिचालन +विदेशी अनुषंगियां)	13235380.65	1398919.64	14634300.29
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	65072923.52	10350473.84	75423397.36

टिप्पणी: एक्सपोजर में ऋण एक्सपोजर (निधि एवं गैर-निधिकृत ऋण सीमाएं), निवेश एक्सपोजर (हामीदारी अंकन तथा इस तरह की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं) और व्युत्पन्नी एक्सपोजर जिसमें एमटीएम तथा भविष्य के संभावित एक्सपोजर शामिल हैं।

डी. एक्सपोजर का उद्योग टाइप संवितरण (समेकित) (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित अलग-अलग):

(₹. लाखों में)

उद्योग	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर- निधि आधारित एक्सपोजर	कुल
ए. खनन एवं उत्खनन	1030343.86	36685.17	1067029.03
ए.1 कोयला	140146.93	19170.72	159317.65
ए.2 अन्य	890196.94	17514.45	907711.38
बी. खाद्य प्रसंस्करण	1825399.61	135516.96	1960916.57
बी.1 चीनी	250219.49	1545.50	251765.00
बी.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	270652.49	89843.40	360495.88
बी.3 चाय	26430.80	514.55	26945.35
बी.4 कॉफी	942.03	0.20	942.23
बी.5 अन्य	1277154.80	43613.32	1320768.11
सी. पेय पदार्थ	35008.39	4520.54	39528.93
सी.1 तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	19263.15	1332.23	20595.38
सी.2 अन्य	15745.24	3188.31	18933.55
डी. टेक्सटाइल	2257163.08	312128.14	2569291.22
डी.1 कॉटन टेक्सटाइल	1057022.96	34912.05	1091935.01
डी.2 जूट टेक्सटाइल	16873.42	2741.63	19615.06
डी.3 अस्तशिल्प/ खादी /सिल्क/वूलन	27520.50	703.79	28224.30
डी.4 अन्य टेक्सटाइल	1155746.20	273770.66	1429516.86
ई. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	47544.57	1643.51	49188.07
एफ. काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	99144.04	10389.59	109533.63
जी. कागज एवं कागज उत्पाद	208717.68	15804.49	224522.17
एच. पेट्रोलियम	661023.77	847053.12	1508076.89
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद	4064177.97	560015.30	4624193.28
आई.1 उर्वरक	760079.56	244038.92	1004118.48
आई.2 ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल	1029405.19	114457.51	1143862.70
आई.3 पेट्रो-केमिकल्स	925657.38	100788.07	1026445.44
आई.4 अन्य	1349035.85	100730.81	1449766.65
जे. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	547147.40	116574.91	663722.31
के. ग्लास एवं ग्लासवेयर	54373.01	7118.28	61491.29
एल. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	154428.55	67276.13	221704.68
एम. मूल धातु एवं धातु उत्पाद	3028237.33	521869.77	3550107.10
एम.1 लौह एवं स्टील	2513306.39	450365.32	2963671.71
एम.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	514930.94	71504.46	586435.39
एन. सभी इंजिनियरिंग	1189386.23	1018806.69	2208192.93
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	57200.61	4035.59	61236.20
एन.2 अन्य इंजिनियरिंग	1132185.62	1014771.10	2146956.72
ओ. वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपस्कर	522870.63	30984.45	553855.08
पी. जेम्स एवं ज्वेलरी	651179.90	40588.68	691768.58
क्यू. निर्माण	941317.05	1607483.79	2548800.84
आर. संरचना	4751109.51	1750925.87	6502035.38
आर.1 परिवहन	755993.96	32551.46	788545.42



उद्योग	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर- निधि आधारित एक्सपोजर	कुल
आर.1.1 रेलवे	83983.03	1741.00	85724.03
आर.1.2 सड़क परिवहन	650961.92	25537.59	676499.51
आर.1.3 विमानन	0.00	0.00	0.00
आर.1.4 जल परिवहन	11181.02	5200.00	16381.02
आर.1.5 अन्य परिवहन	9867.99	72.87	9940.86
आर.2 ऊर्जा	2721489.09	1373705.60	4095194.69
आर.2.1 अनवीकरणीय ऊर्जा	2247538.79	798727.64	3046266.43
आर.2.2 नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, वायु, हाईड्रल)	473950.29	574977.97	1048928.26
आर.3 दूरसंचार	767570.25	177650.65	945220.91
आर.4 अन्य	506056.21	167018.16	673074.37
आर.4.1 जल स्वच्छता	60380.43	20106.01	80486.44
आर.4.2 सामाजिक एवं वाणिज्यिक संरचना	25031.57	241.67	25273.24
आर.4.3 अन्य	420644.22	146670.47	567314.69
एस. अन्य उद्योग	696097.95	45122.57	741220.52
सभी उद्योग	22764670.55	7130507.96	29895178.51
अवशिष्ट अन्य अग्रिम	42308252.97	3219965.88	45528218.85
टी.1 शैक्षणिक ऋण	376920.56	15919.72	392840.27
टी.2 विमानन क्षेत्र	961302.63	320599.81	1281902.44
टी.3 अन्य अवशिष्ट अग्रिम	40970029.78	2883446.36	43853476.14
कुल ऋण एवं अग्रिम	65072923.52	10350473.84	75423397.36

ऐसे उद्योगों में ऋण एक्सपोजर, जहां एक्सपोजर बैंक के कुल ऋण एक्सपोजर के 5% (समेकित) से अधिक है, इस प्रकार है:

क्र.सं.	उद्योग	एक्सपोजर राशि (रु. लाखों में)	कुल ऋण एक्सपोजर का %
1	संरचना	6502035.38	8.62%
2	रसायन एवं रसायन उत्पाद	4624193.28	6.13%

ई. आस्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण:

(रु. लाखों में)

समयावधि	सेंट्रल बैंक के पास नकदी एवं शेष	बैंक के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	अग्रिम	निवेश	अचल आस्तियां	अन्य आस्तियां	कुल
1 दिन	1705955	2727426	964651	4998658	0	80813	10477503
2-7 दिन	6383	296960	1216852	84675	0	55023	1659892
8-14 दिन	4157	92669	1025498	31941	0	4007	1158271
15-30 दिन	48076	506960	2424680	166683	0	42774	3189174
31 दिन -2 माह	37334	312044	1735342	147375	0	56267	2288362
2-3 माह	34605	247276	1535861	373288	0	21406	2212435
3 - 6 माह	108277	265098	1971354	477830	0	41504	2864063
6 - 12 माह	157637	269011	2350455	615313	0	66766	3459181
1 - 3 वर्ष	347398	17540	22996409	2633887	0	152152	26147386
3 - 5 वर्ष	69298	2230966	4492233	2190440	0	72630	9055566
5 वर्ष से अधिक	303415	0	7708147	7808632	714371	2855503	19390068
कुल	2822535	6965949	48421481	19528720	714371	3448844	81901900



राशि लाखों में

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल)	4910700.25
	अवमानक	932419.38
	संदिग्ध 1	1072706.02
	संदिग्ध 2	1483027.22
	संदिग्ध 3	704058.56
	हानि	718489.08

(जी)	निवल एनपीए	1600396.19
------	------------	-------------------

(एच)	एनपीए अनुपात	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए	9.74%
	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए	3.40%

राशि लाखों में

(आई)	एनपीए (सकल) का मूवमेंट	
	प्रारंभिक शेष	5706024.22
	योग	1360342.20
	कमी	2201467.04
	अन्य कोई समायोजन (विनिमय अंतर)	45800.87
	अंतिम शेष	4910700.25

राशि लाखों में

(जे)	प्रावधानों का मूवमेंट		
		सामान्य प्रावधान	विशिष्ट प्रावधान
	प्रारंभिक शेष	330123.92	3335727.86
	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	6809.27	1108240.48
	अधिक प्रावधान को बढ़ा खाता/वापस लेना	4108.55	1170259.18
	अन्य कोई समायोजन (विनिमय अंतर)	-1996.86	30622.66
	अंतिम शेष	330827.78	3304331.82
	ऐसे बढ़े खाते जो सीधे ही आय विवरण में शामिल किए गए हैं		237680.76
	वसूली, जो सीधे ही आय विवरण में शामिल की गई है		83412.10

राशि लाखों में

	गैर निष्पादक निवेश	
(के)	गैर निष्पादक निवेश की राशि	164920.82
(एल)	गैर निष्पादक निवेश की राशि के लिए धारित प्रावधान की राशि	148452.63

राशि लाखों में

(एम)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का मूवमेंट	
	प्रारंभिक शेष	184676.18
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	30544.34
	बढ़े खाते डालना/ अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	18012.13
	अंतिम शेष	197208.39



बड़े उद्योगों द्वारा एनपीए				
		संरचना	18.47%	960747.53
		बेसिक मेटल एवं मेटल उत्पाद	10.63%	552989.61
		टेक्सटाइल	7.07%	362266.77
		निर्माण	8.38%	435920.42
		सभी इंजिनियरिंग	5.31%	276147.05
		सर्वोच्च 5 उद्योगों की एनपीए राशि		
	ii) उपरोक्त 5 उद्योगों के लिए विशिष्ट प्रावधान			1614346
	iii) ए- चालू अवधि के विशिष्ट प्रावधान			323431
	iii) बी- चालू अवधि में बट्टे खाते में डालना			19097.56
	प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के मदवार सकल एनपीए की राशि			
				सकल एनपीए
		घरेलू परिचालन		4038762.00
		घरेलू अनुषंगी		41403.43
		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन		784515.21
		अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी		46019.61
	उपरोक्त के लिए विशिष्ट प्रावधान			
				विशिष्ट प्रावधान
		घरेलू परिचालन		2624452.00
		घरेलू अनुषंगी		15479.03
		अंतर्राष्ट्रीय परिचालन		637874.73
		अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी		26526.06

डीएफ 4: ऋण जोखिम: मानकीकृत पद्धति के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

प्रयुक्त ऋण रेटिंग एजेंसियां व यदि कोई परिवर्तन हो तो, उनके कारण

मानकीकृत पद्धति के तहत बैंक घरेलू क्रेडिट एक्सपोजर हेड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिच (इंडिया), आइसीआरए, एक्यूट के लिए ब्रिक वर्क इंडिया प्रा. लि. की रेटिंग को स्वीकार करता है. विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टैण्डर्ड एवं पूअर, मूडी एवं फिच की रेटिंग स्वीकार करता है. किस प्रकार के एक्सपोजर के लिए किस एजेंसी का उपयोग किया गया

बैंक, कॉर्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान (पीएसई) के उधारकर्ताओं को ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और जहां कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है, वहां जोखिम पर आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है.

बैंकिंग बही में सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को समतुल्य आस्तियों में अंतरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का विवरण

बैंक का बाहरी रेटिंग एप्लिकेशन फ्रेमवर्क निम्नानुसार है:

1. बैंक केवल उन्हीं रेटिंग का प्रयोग करता है जो प्रतिपक्ष द्वारा मँगवाई जाती हैं. विदेशी सोवरीन तथा विदेशी बैंक के एक्सपोजर के लिए जोखिम भार उन्हें दिए गए इश्युअर रेटिंग के आधार पर होंगे.
2. बैंक, कॉर्पोरेट व सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई) के ऋणकर्ताओं को आरबीआई से मान्यता प्राप्त ईसीएआई से ऋण रेटिंग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां ये रेटिंग उपलब्ध होतथा प्राप्त रेटिंग को जोखिम धारित आस्तियों का परिकलन करने के लिए उपयोग करता है.
3. जिन सुविधाओं के लिए एक से अधिक रेटिंग हों उनके लिए आरबीआई की विशिष्ट शर्तें लागू हैं. इस संदर्भ में, सुविधा प्रदान करते समय, यदि दो रेटिंग हो तो निम्नतर रेटिंग और यदि तीन या अधिक रेटिंग हो तो दूसरी निम्नतम रेटिंग का प्रयोग किया जाएगा.
4. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि बाहरी सुविधा/ऋणकर्ता की रेटिंग की समीक्षा ईसीएआई द्वारा पिछले 15 महीनों में कम से कम एक बार की गई है और आवेदन की तारीख

को प्रभावी है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 अगस्त, 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंकिंग प्रणाली से 100 करोड़ से अधिक के कुल एक्सपोजर वाले कॉर्पोरेट, एफसी तथा एनबीएफसी-आईएफसी जिन्हें पहले रेटिंग प्राप्त थी परंतु बाद में रेटिंग नहीं की गई, ऐसे दावों के लिए 150% जोखिम भारिता लगाई जाती है।

6. जब किसी ऋणकर्ता को 150% की ऋण भारिता की रेटिंग की जाती है तो यह रेटिंग उसके रेटिंग न की गई सभी सुविधाओं के लिए भी उसी 150% की ऋण भारिता लागू की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत पद्धति (मूल्यांकित और गैर-मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशि का बकाया शेष इस प्रकार है।

जोखिम भार की श्रेणी	कुल (₹. लाखों में)
100% जोखिम भार से कम	4,69,10,762.11
100% जोखिम भार	1,63,00,205.74
100 % जोखिम भार से अधिक	53,75,223.81
सीआरएम कटौती*	68,37,205.70
कुल एक्सपोजर (एफ बी + एन एफ बी)	7,54,23,397.36

*सीआरएम में एनपीए खातों पर प्रावधान शामिल हैं

डीएफ 5. अग्रिम जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत पद्धति का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ऑन एण्ड ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के लिए नीतियां, प्रक्रियाएं तथा संकेत की किस सीमा तक बैंक इनका प्रयोग करता है।

बैंक अपने उधाकर्ताओं के एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां (जो कि संपार्श्विक रूप में भी हो सकती है) प्राप्त करते हैं। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ अग्रिम जोखिम न्यून करने के बारे में एक्सपोजर में कमी की नीति को अपनाया है। जहां कहीं कॉर्पोरेट गारंटी अग्रिम जोखिम न्यून करने के रूप में उपलब्ध है, अग्रिम जोखिम उपलब्ध गारंटी की सीमा तक गारंटीदाताओं को अंतरित किया जाता है।

बैंक के पास, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति उपलब्ध है। नीचे क्रम सं. 4 से 10 पर उल्लिखित प्रतिभूतियां ऋण जोखिम हेतु बासेल III मानकीकृत पद्धति के तहत बासेल III मानदंडों मापक व्यापक दृष्टिकोण सहित ऑन बैलेंस शीट नेटिंग हेतु ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

बैंक द्वारा लिए गए मुख्य संपार्श्विक के विवरण:

सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियां (मुख्य प्रतिभूतियां अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियां) ली जाती हैं:

- स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियां।
- भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल आस्तियां।
- अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर।
- बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियां।
- एनएससी, केवीपी, एलआईसी पॉलिसियां, केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां इत्यादि।
- ऋण प्रतिभूतियां- कतिपय शर्तों के साथ- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा अनुमोदित।
- ऋण प्रतिभूतियां- रेटिंग नहीं की गई कतिपय शर्तों के साथ एक बैंक द्वारा जारी।
- म्यूचुअल फंडों की यूनिटें
- गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन।
- स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण।

मुख्य प्रकार के गारंटर प्रतिपक्षी व उनकी ऋण पात्रता:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटियां)
- कॉर्पोरेट्स/पीएसई
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई

केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीटीएमएसई, बैंक व कॉर्पोरेट पर एक्सपोजर्स के संबंध में पात्र गारंटर (बासेल III के अनुसार) काउंटर पार्टी की अपेक्षा कम जोखिम भार के साथ सीआरएम के रूप में उपलब्ध हैं। यदि अन्य गारंटर की बाहरी रेटिंग एए या उससे बेहतर हो और यदि गारंटी मुख्य कंपनी, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो तो उन्हें बैंक से मान्यता प्राप्त



बाध्यकारी से कम जोखिम भारिता होनी चाहिए, तभी गारंटी के लिए होगी।

जोखिम न्यूनीकरण के अंदर ही लिए गए जोखिम की बहुलता पर सूचना (बाजार या ऋण):

बैंक के पास विभिन्न प्रकार के आस्ति पोर्टफोलियो हैं जो विभिन्न प्रकार के संपार्श्विक से सुरक्षित हैं जिसमें उपरोक्त पात्र वित्तीय संपार्श्विक, सोवरीन द्वारा गारंटी, अच्छी रेटिंग वाले कार्पोरेट तथा अचल संपत्ति व प्रतिपक्षीय चालू आस्तियां शामिल हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

11. प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर, जो कि पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया है, मार्जिन को लगाने के पश्चात निम्नानुसार है:

(₹. लाखों में)

ऋण जोखिम पोर्टफोलियो	कुल
बैंकों पर दावे	27779.82
वाणिज्यिक रियल इस्टेट	41976.21
कार्पोरेट	4584344.77
घरेलू सॉवरेन	617.50
विदेशी सॉवरेन	18.77
अन्य आस्तियां	5371.13
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	19896.06
रेगुलेट्री रिटेल पोर्टफोलियो	1370495.67
आवासीय संपत्ति	26285.25
विनिर्दिष्ट श्रेणियां	760420.52
प्राथमिक डीलर्स	0.00
एमडीबीएस, बीआइएस एवं आईएमएफ	0.00
कुल	6837205.70

बी. प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (ऑन एण्ड ऑफ बैलेंस शीट के बाद, जहां लागू हो) जो गारंटी/ऋण डेरिवेटिव द्वारा कवर किए गए हैं. (जहां भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त हो)	लाखों में
	1403966.6

तालिका डीएफ 6. प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: प्रकटीकरण के लिए मानकीकृत पद्धति

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए)	प्रतिभूतिकरण के संबंध में निम्न मर्दों के साथ साथ एक सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता:	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक के उद्देश्य जिसमें वे गतिविधियां भी शामिल हैं जिनसे अंतर्निहित एक्सपोजर के ऋण जोखिम अंतरण से वे बैंक से दूर अन्यत्र जा सकते हैं प्रतिभूति प्राप्त अन्य जोखिमों का स्वरूप (जैसे तरलता जोखिम)	शून्य
	प्रतिभूतिकरण की क्रिया में बैंक की विभिन्न भूमिकाएँ (उदाहरण: आरंभकर्ता, निवेशक, सेवादाता, ऋणवृद्धि प्रदाता, नकदी प्रदाता, स्वेप प्रदाता [@] , सुरक्षा प्रदाता [#]) और इनमें से प्रत्येक में बैंक किस हद तक भूमिका निभा रहा है [@] हो सकता है की बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों की ब्याज दर/मौद्रिक जोखिम को कम करने के लिए ब्याजदार स्वेप या मुद्रा स्वेप के रूप में प्रतिभूतिकरण संरचना का समर्थन किया हो यदि नियामक नियमों के अनुसार ऐसा करना गलत न हो. [#] नियामक नियमों के अनुसार बैंक चाहे तो बैंक प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए गारंटी, ऋण डेरिवेटिव या उसी प्रकार के अन्य उत्पाद के माध्यम से ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है.	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण व बाजार जोखिम में परिवर्तन की निगरानी के लिए बनाई गई प्रक्रिया का विवरण (जैसे कि एनसीएफ पर दिनांक जुलाई 8, 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में परिभाषित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पर अंतर्निहित आस्तियों का व्यवहार का प्रभाव क्या होता है.	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ज़रिये प्रतिधारित जोखिम को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में बैंक की नीति का विवरण	लागू नहीं

(बी)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए जिसमें निम्न भी शामिल है, बैंक के लेखांकन नीतियों का सारांश:	
	क्या लेनदेनों को बिक्रियाँ या वित्तपोषण माना जा रहा है;	लागू नहीं
	प्रतिधारित या खरीदी गई आस्ति के मूल्यांकन पर लागू (इनपुट सहित) प्रमुख अनुमान और पद्धतियाँ	लागू नहीं
	प्रमुख अनुमान और पद्धतियों में पिछली अवधि से हुए परिवर्तन और उनका प्रभाव;	लागू नहीं
	तुलनपत्र में उन देयताओं को पहचानने के लिए नीतियाँ जिससे प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए बैंक को वित्तीय सहायता देनी पड़ सकती है	लागू नहीं
(सी)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ईसीएआई के नाम व विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए प्रयुक्त प्रत्येक एजेंसी के नाम	लागू नहीं

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

	बैंकिंग बही	
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य
(ई)	एक्सपोजर के प्रकार व चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिभूतिकृत हानियों के लिए एक्सपोजर (उदाहरण: क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण आदि अंतर्निहित प्रतिभूति के विवरण सहित)	शून्य
(एफ)	एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकरण की जानेवाली आस्तियों की राशि	शून्य
(जी)	(एफ) में से, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के अंदर प्रारम्भ की गई आस्तियों की कुल राशि	लागू नहीं
(एच)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि (एक्सपोजर के स्वरूप से) और एक्सपोजर के स्वरूपवार बिक्री से हुए लाभ या हानि जिसे निर्धारित न किया गया हो	शून्य
(आई)	समग्र राशि:	शून्य
	तुलनपत्र के अंदर, प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर व एक्सपोजर के स्वरूपवार ब्यौरे	शून्य
	तुलनपत्र से बाहर, प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर व एक्सपोजर का प्रकारवार ब्यौरा	शून्य
(जे)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र राशि-प्रतिधारित या खरीदे गए तथा उसे सम्बद्ध पूंजीगत प्रभार, विभिन्न एक्सपोजर के अलग अलग ब्यौरे और प्रत्येक नियामक पूंजी पद्धति के लिए अलग अलग जोखिमधारिता खंड के अलग अलग ब्यौरे	शून्य
	ऐसे एक्सपोजर जो पूर्णतया टियर 1 पूंजी से काटे गए, कुल पूंजी से काटे गए आई/ओ ऋणविस्तार और कुल पूंजी से काटे गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर वार)	शून्य
	मात्रात्मक प्रकटीकरण: व्यापार बही	
(के)	बैंक द्वारा संवीक्षित एक्सपोजर की समग्र राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर प्रतिधारित किए हैं, जिसके लिए बाजार जोखिम बना रहेगा उसके एक्सपोजर वार विवरण	शून्य
(एल)	समग्र राशि:	शून्य
	तुलनपत्र के अंदर, प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर व एक्सपोजर का प्रकारवार ब्यौरा	शून्य
	तुलनपत्र से बाहर, प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर व एक्सपोजर का प्रकारवार ब्यौरा	शून्य
(एम)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र राशि-प्रतिधारित या खरीदे गए, तथा एक्सपोजर का प्रकारवार ब्यौरा	शून्य
	प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर-विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय की शर्तों के अधीन; तथा	शून्य
	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के लिए विभिन्न जोखिम भारत खंडों में वर्गीकृत विशिष्ट जोखिम की शर्तों के अधीन	शून्य
(एन)	समग्र राशि:	शून्य
	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के लिए पूंजीगत आवश्यकता-प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के लिए विभिन्न जोखिम भारत खंडों में वर्गीकृत विशिष्ट जोखिम की शर्त पर	शून्य

डीएफ 7. व्यापार बही में बाजार जोखिम:
गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है. व्यापार बही में बाजार जोखिम के तहत निम्नलिखित जोखिम का प्रबंधन किया जाता है:



- ब्याज दर जोखिम
- मुद्रा जोखिम
- मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, हानि रोधक सीमाएं और मूल्य जोखिम सीमाएं, जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं. हानिरोधक सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों को ध्यान में लेती है.

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है यथा मानकीकृत अवधि पद्धति. इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है. ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को बासेल-III के अन्तर्गत बैंक के सीआरएआर निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

दिनांक 31 मार्च 2019 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि पद्धति के अनुसार) संबंधी पूंजी प्रभार तथा जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार हैं-

जोखिम श्रेणी	न्यूनतम पूंजी प्रभार (रु. लाखों में)
ब्याज दर जोखिम	149714.21
विदेशी विनिमय जोखिम	6213.75
इक्विटी स्थिति जोखिम	84195.65
कुल पूंजी प्रभार	240123.61

टेबल डीएफ 8. परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम, हानि संबंधी जोखिम है जो अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों अथवा बाह्य घटनाओं के फलस्वरूप होती है. यह परिभाषा “कारण आधारित है, जो परिचालन जोखिम को इसके स्रोत के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित करती है: क) लोग ख) प्रक्रिया ग) प्रणाली तथा घ) बाह्य कारक. इसमें विधिक जोखिम शामिल हैं परंतु नीतिपरक एवं प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं हैं. ये विधिक जोखिम, पर्यवेक्षी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप जुर्माना, दंड या दंडात्मक क्षति के साथ -साथ सिविल मुकदमों में सामान्य क्षति संबंधी विधिक लागत एवं निजी समझौते तक सीमित नहीं है.

ए. परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

बैंक के आकार, स्वरूप और इसकी गतिविधियों की जटीलता के अनुरूप परिचालन जोखिम के मात्रात्मक और गुणात्मक परिप्रेक्ष्यों को सुगम बनाने हेतु एवं भारतीय रिज़र्व बैंक/ बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) मौजूद है. निदेशक मण्डल अपनी विभिन्न समितियों अर्थात निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति, इंटरप्राइस जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमएस), उत्पाद एवं प्रक्रिया अनुमोदन समिति (पीपीएसी) के द्वारा ओआरएमएफ के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन एवं निदेश उपलब्ध कराता है और परिचालन जोखिम का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करता है.

- आरएमसीबी एक बोर्ड स्तर की समिति है जो समग्र परिचालन जोखिम प्रोफाइल, ओआरएमएफ एवं इसके निरंतर उपयुक्तता के लिए उत्तरदायी है.
- ईआरएमसी, इंटरप्राइस वाइड रिस्क के प्रबंधन एवं आकलन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन स्तर की समिति है. यह समिति ओआरएम फ्रेमवर्क सहित ईआरएम फ्रेमवर्क के डिजाइन एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है.
- पीपीएसी वरिष्ठ स्तर की समिति नए उत्पादों/ प्रक्रियाओं/सिस्टम एवं मौजूदा उत्पाद/ प्रक्रिया/ सिस्टम में संशोधन के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है.
- परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) सेल, जोखिम प्रबंधन विभाग का एक भाग है और मुख्य जोखिम अधिकारी इसका प्रमुख होता है. ओआरएम सेल स्वतंत्र कार्यकालाप है जो ओआरएमएफ के कार्यान्वयन, बैंक की नीतियों, परिचालन जोखिम प्रबंधन एवं आकलन संबंधी नियमावलियों एवं प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने के लिए व्यावसायिक इकाइयों, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एवं बैंक के सभी अन्य कार्यकलाप एवं विभाग से विचार-विमर्श करता है, परिचालन जोखिम प्रबंधन कल्चर विकसित करता है एवं उसका संरक्षण करता है, ओआरएम जोखिम वहन क्षमता एवं कार्यनीति तैयार करता है, आंतरिक नीतियों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार लॉस डेटा, आरसीएसए एवं केआरआई आवश्यकता का कार्यान्वयन करता है.

बी. परिचालन जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य:

बैंक के परिचालन जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रभावी तरीके से परिचालन जोखिम का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना है तथा बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ मानक तैयार करना है. ओआरएम का लक्ष्य है:

- बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए कल्चर विकसित करना.
- बैंक के लिए जोखिम वहन क्षमता विकसित करना.
- बैंक का परिचालन जोखिम प्रबंधन विकसित करना.
- परिचालन जोखिम के प्रभावी तरीके से प्रबंधन हेतु योग्यता, अनुभव एवं प्रशिक्षण के अपेक्षित स्तर के संसाधनों की पर्याप्त संख्या सहित सभी स्तरों पर स्टाफ का उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना.
- बैंक में प्रभावी एवं मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करना.

- ओआरएमएस की निरंतर उपयुक्तता के संबंध में नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता का प्रबंध करना।
- व्यवसाय, परिचालन एवं सपोर्ट ग्रुप के परिचालन जोखिम का मूल्यांकन एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु बैंक में परिचालन जोखिम हेतु सामान्य समझ विकसित करना।
- पूरे बैंक के आंतरिक नियंत्रणों में सुधार करने हेतु व्यवसाय एवं परिचालन में सहायता करना और इसके द्वारा परिचालन जोखिम से हानियों का संभावित प्रभाव कम करना।
- महत्वपूर्ण जोखिमों और उनके नीतिपरक पहलुओं तथा बैंक पर इसके प्रभाव को समझना।
- बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करना जिसमें प्रमुख मुद्दों, जोखिम प्रसंगों, लिमिट का उल्लंघन, बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर वस्तुगत प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य बदलाव, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन न करना एवं लंबित सुधारात्मक कार्रवाई योजना शामिल हैं।

सी. जोखिम निर्धारण, आकलन एवं निगरानी

मजबूत परिचालन जोखिम गवर्नेंस संरचना एवं परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने तीन स्तरीय सुरक्षा तंत्र अपनाया है। सुरक्षा (व्यवसाय कार्य, परिचालन एवं सपोर्ट फंक्शन) के प्रथम स्तर पर दैनिक परिचालन जोखिम प्रबंधन है, बैंक के ओआरएम सेल सुरक्षा के दूसरे स्तर पर है जो बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम का निर्धारण, आकलन एवं निगरानी हेतु पद्धतियों को डिजाइन करने के लिए उत्तरदायी है।

ओआरएम सेल बैंक के विभिन्न व्यवसायिक एवं प्रशासनिक इकाइयों की प्रक्रियाओं, उत्पादों, सिस्टम एवं बाहरी परिवेश में अंतर्निहित परिचालन जोखिम का निर्धारण करता है और निर्देशों के लिए ईआरएमसी, जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक आधार पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ओआरएमसी द्वारा परिचालन जोखिम एक्सपोजर (जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन परिणाम, परिचालन जोखिम प्रसंगों का मूल्यांकन, मुख्य जोखिम सूचक एवं खुले जोखिम) की निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है तथा व्यवसाय प्रमुखों को डेशबोर्ड के रूप में आवधिक आधार पर रिपोर्ट की जाती है।

डी. परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यनीति निम्नानुसार है:

- आंतरिक परिचालन जोखिम हानि डेटा का संग्रहण, मूल्यांकन एवं निगरानी व्यवस्थित तरीके से किया जाता है तथा ईआरएमसी एवं आरएमसीबी को आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। हानि संबंधी डेटा का संग्रहण वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से उन एंटीटियों के द्वारा किया जाता है, जहां वह प्रसंग घटित हुआ था। ऐसी घटनाएँ जो होते-होते रह गई हैं उन्हें भी नियंत्रण खामियों का पता लगाने और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए कैप्चर किया जाता है।
- बैंक, उद्योग के अनुभवों एवं हमारे आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी परिचालन जोखिम हानि संबंधी डेटा संग्रहीत करता है। बाहरी हानि डेटाबेस का एक्सेस प्राप्त कारण के लिए बैंक ने CORDEX की सदस्यता ग्रहण की है जो भारतीय बैंकों का सहायता संघ है, जिसकी स्थापना उद्योग स्तर के परिचालन जोखिम हानियों का संग्रहण करने के लिए की गई है।
- बैंक के पास आंतरिक एवं बाहरी हानियों का व्यापक डेटाबेस मौजूद है, जिन्हें बासेल द्वारा परिभाषित 8 बिजनस लाइन एवं 7 हानि संबंधी घटनाओं के प्रकार के अनुसार संग्रह किया जाता है और निगरानी की जाती है।
- बैंक ने उत्पादों/ प्रक्रियाओं/ प्रणालियों में शामिल जोखिमों के निर्धारण एवं मूल्यांकन हेतु तथा नियंत्रण संबंधी खामियों का पता लगाने के लिए आरसीएसए प्रक्रिया लागू की है। नए उत्पाद/ प्रक्रिया/ प्रणाली के लिए मूल विभाग अंतर्निहित जोखिम का मूल्यांकन करता है और जोखिम को स्वीकार्य वहन क्षमता के अंतर्गत रखने के लिए जोखिम संकेत को कम या न्यूनतम करने हेतु नियंत्रण उपायों को लागू करता है। मौजूदा उत्पादों के लिए, अंतिम उपयोगकर्ता अर्थात् सुरक्षा के प्रथम स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा आरसीएसए मूल्यांकन किया जाता है।
- बैंक में विभिन्न कार्यशालाओं विशेषकर आरसीएसए कार्यशालाओं एवं अन्य बैठकों के माध्यम से संस्थान में जोखिम कल्चर के बारे में समझाया जा रहा है। सभी नए उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों को आरसीएसए प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त संवीक्षा करने के बाद लागू किया जाता है जिसमें अंतर्निहित जोखिम का निर्धारण और मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें लॉन्च करने से पहले उचित नियंत्रणों का समावेश किया जाता है।
- बैंक ने संभावित जोखिम को सक्रियता से पहचानने के लिए मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) कार्यक्रम शुरू किया है ताकि बैंक समय रहते उचित कार्रवाई कर सके। इन मुख्य जोखिम संकेतकों की निगरानी निर्धारित समयांतराल में एवं निर्धारित प्रारंभिक स्तरों पर की जाती है। प्रारंभिक सीमा का उल्लंघन करने वाले सभी केआरआई के लिए केआरआई ऑनर फंक्शन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

बैंक ने परिचालन जोखिम के सुव्यवस्थित, समग्र एवं एकीकृत प्रबंधन के लिए वेब आधारित परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है। यह प्रणाली में इंस्ट्रुमेंट मैनेजमेंट (आईएमएम), रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ-असेसमेंट (आरसीएसए), की-रिस्क इंडिकेटर (केआरआई) तथा इश्यू एवं एक्शन प्लान (आई एवं ए) शामिल हैं।

ई. विदेशी शाखाओं एवं बैंकिंग सहयोगियों में परिचालन जोखिम प्रबंधन:

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक की विदेशी शाखाओं/ टेरिटरी सहित सभी शाखाओं/ कार्यालयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगियों पर उनके व्यवसाय प्रोफाइल, स्वरूप, आकार एवं परिचालन की जटीलता के आधार पर लागू है। अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगियों एवं विदेशी शाखाओं/ टेरिटरी द्वारा ग्रुप लेवल परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क अपनाया होम-होस्ट रिक्वायर्मेंट के अनुपालन के अधीन है।

एफ. परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधारभूत सूचक पद्धति अपनायी है। मूल सूचक पद्धति के अंतर्गत 3 वर्षों की औसत आय को जोखिम भारित आस्ति की संगणना हेतु प्रयुक्त जायेगा। तदनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता रु. 395595.99 लाख है।

टेबल डीएफ़ 9. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की ग्रुप आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का आकलन एवं निगरानी की जाती है जो भारतीय रिज़र्व



बैंक के “बैंक की ग्रुप आस्ति देयता प्रबंधन फ्रेमवर्क - ब्याज दर जोखिम” दिनांक 4 नवम्बर, 2010 पर आधारित है. ब्याज दर जोखिम का आकलन, समग्र बैंक में ब्याज दर जोखिम की संवेदनशील स्थिति की वैल्यू में परिवर्तन के अनुसार किया जाता है अर्थात् निम्नानुसार बैंकिंग एवं ट्रेडिंग दोनों बहियों में:

ए. ब्याज दर जोखिम की बैंकिंग बूक में दो पद्धतियों के माध्यम से निर्धारित व निगरानी किया जाता है.

(i) जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक अंतर विश्लेषण) (अल्पावधि):

इस पद्धति के तहत ब्याज दरों में परिवर्तनों का बैंक की निवल ब्याज आय पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है.

जोखिम पर अर्जन को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया जाता है:

1. अर्जन रेखा जोखिम: आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानान्तर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है.
2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न अर्जन परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू है.
3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है.

(ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अंतर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

यह कार्य आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की अलग-अलग गणना करके किया जाता है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण किया जा सके.

- इस पद्धति को अर्जन में दिये परिवर्तन हेतु अर्जन कर्ब में समांतर शिफ्ट माना जाता है.
- इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक ने विश्लेषित किया है, नियमित अंतरालों पर 200 आधार अंकीय दर हेतु विश्लेषित किया जाता है.
- संबंधित परिपक्वता के लिए बाजार सहबद्ध अर्जन को संशोधित अवधि की गणना में प्रयुक्त किया जाता है.

बैंकिंग बहियों में बैंक के ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) का विश्लेषण दोनों घरेलू तथा विदेशी परिचालनों के लिए किया जाता है. घरेलू परिचालनों के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य का आकलन तथा निगरानी तिमाही आधार पर किया जाता है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बी. ब्याज दर शॉक में परिवर्तन हेतु आर्थिक मूल्य और अर्जन में वृद्धि (कमी) निम्नानुसार हैं:

- (i) जोखिम पर अर्जन: ब्याज दरों में 200 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि के कारण एक वर्ष तक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च 2019 को ब्याज की संवेदनशील स्थिति के संबंध में ब्याज दरों में हुए परिवर्तन का निवल ब्याज आय पर प्रभाव को निम्न टेबल में दिया गया है:

(राशि रु लाख में)

मुद्रा	ब्याज दरों में 200 बेसिस पॉइंट्स वृद्धि
आईएनआर	34985.19
यूरो	1636.97
जीबीपी	5926.23
यूएसडी	-25974.34
अन्य	-19485.83

(ii) आर्थिक मूल्य: निम्नलिखित टेबल यथा 31 मार्च, 2019 ब्याज संवेदनशील स्थिति में ब्याज दरों में परिवर्तन के इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव दर्शाता है.

(राशि रु लाखों में)

मुद्रा	ब्याज दरों में 200 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि के कारण इक्विटी के बाजार में मूल्य में परिवर्तन
आईएनआर	(3,41,140.36)
यूरो	(966.13)
जीबीपी	6,305.23
यूएसडी	(65,612.97)
अन्य	(74,058.37)

टेबल डीएफ़ 10: प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण::

11. प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है. यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है. इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक के एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक

पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानी जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात् संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पॉजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचालन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

बैंक अपने ग्राहकों को डेरिवेटिव उत्पादों के समान ही बहुत से उत्पाद ऑफर करता है ताकि वे ब्याज दर तथा मुद्रा संबंधी अपनी एक्सपोजर के साथ लेन-देन कर सकें और डेरिवेटिव के लिए प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक मार्जिन अर्जित कर सकें, सभी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव प्रतिपक्षी ऋण जोखिम की ओर ले जाते हैं, जिन्हें नियमित अंतराल पर बैंक मॉनीटर करता है। इन संव्यवहारों के लिए मार्जिन ऋण जोखिम की गुणवत्ता और मात्रा साथ ही इक्विटी पर वांछित प्रति लाभ को हिसाब में लिया जाता है।

बैंक का प्रतिपक्षी ऋण जोखिम, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है, बैंक किसी पार्टी को डेरिवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं- अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण संव्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए और फिर तदनुसार संव्यवहार में अपेक्षित ऋण जोखिम कमी का निर्णय करता है।

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम को कम करने तथा की निगरानी करने के लिए कॉर्पोरेट को दिए गए शेष डेरिवेटिव संव्यवहारों की निगरानी मासिक आधार पर की जाती है, और बैंक की तिमाही आधार पर।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

बी. बैंक द्विपक्षीय समायोजन को मान्यता प्रदान नहीं करता है, डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना वर्तमान एक्सपोजर मैथड (सीईएम) के आधार पर की जाती है तथा 31 मार्च 2019 को बकाया शेष नीचे दिया जा रहा है:-

(राशि ₹ लाखों में)

विवरण	कल्पित राशि	वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर (सीईएम के तहत)
वायदा फॉरेक्स संविदा (14 दिन या उससे कम)	4141730.75	85863.77
वायदा फॉरेक्स संविदाएं (14 दिन से अधिक)	24159724.85	879932.20
मुद्रा फ्यूचर	0.00	0.00
मुद्रा विकल्प	159039.56	1775.32
ब्याज दर फ्यूचर	0.00	0.00
पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	109053.00	11525.69
एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	4117722.71	66607.61

टेबल डीएफ- 11- पूंजी संयोजन

(राशि ₹ मिलियन में)

31 मार्च 2017 से उपयोग में लाए जाने वाले बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट				
क्र. सं.	मद	पात्र राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि	संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत एवं प्रारक्षित निधियाँ				
1	प्रत्यक्षतः जारी की गई विशेषक सामान्य शेयर पूंजी तथा सम्बद्ध स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	217049.19		ए+डी
2	संबद्ध अर्जन	265689.23		बी+ई+एफ+(75%एच)+तिमाही हेतु जे-लाभ रु 1094.5 मिलियन के अल्प शेयर सहित
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य प्रारक्षित निधि)	36759.04		सी(घटाएं) पुनर्मूल्यांकन रिजर्व+पुनर्मूल्यांकन रिजर्व का 45%
4	प्रत्यक्षतः जारी की गई पूंजी जो चरणबद्ध रूप से सीईटी 1 के अधीन है, (केवल गैर-सहयोगी स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)			



31 मार्च 2017 से उपयोग में लाए जाने वाले बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट				
क्र. सं.	मद	पात्र राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि	संदर्भ सं.
5	अनुषंगियों द्वारा जारी की गई तथा तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी. (समूह सीईटी I में अनुमत प्राप्त राशि)			
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी	519497.46	0.00	
	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी: विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन			
8	साख (संबद्ध कर देयता का निवल)			
9	बंधक के अलावा अमूर्त-सेवा अधिकार (कर देयता का निवल)			
10	आस्थगित कर आस्तियां	22503.28		
11	नकदी प्रवाह बचाव प्रारक्षित निधि			
12	अनुमानित हानि हेतु कमी के लिए प्रावधान			
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ			
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि			
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां			
16	निजी शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में चुकता पूंजी का समायोजन पहले से न किया हो.)			
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस धारिता			
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्रय की स्थिति से बाहर हैं जहां जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं है. (प्रारम्भ में 10% से अधिक राशि)			
19	बैंकिंग, वित्तीय बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्रय की स्थिति के निवल से बाहर है. (प्रारम्भ में 10% से अधिक की राशि)			
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (प्रारम्भ में 10% से अधिक की राशि)			
21	अस्थाई अंतरों से होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (प्रारम्भ में 10% से अधिक की राशि संबंधित कर देयता का निवल)			
22	प्रारम्भिक 15% से अधिक राशि			
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश.			
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार,			
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से होने वाली आस्थगित कर देयता			

31 मार्च 2017 से उपयोग में लाए जाने वाले बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट				
क्र. सं.	मद	पात्र राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि	संदर्भ सं.
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 26 सी + 26 डी)			
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश			
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुबंधियों की इक्विटी पूंजी में निवेश			
26सी	जिसमें से: बहुत सी निजी वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं हुई है.			
26डी	जिसमें से: अशोधित पेंशन निधि व्यय			
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 के संबंध में विनियामक समायोजन किया गया			
28	सामान्य इक्विटी- 1 टियर-1 के लिए कुल विनियामक समायोजन	22503.28	0.00	
29	सामान्य इक्विटी-टियर 1 पूंजी (सीईटी-1) अतिरिक्त टियर-1 पूंजी: लिखत	496994.18		
30	प्रत्यक्षतः जारी किए गए सापेक्ष अतिरिक्त टियर-1 लिखत तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष (31+32)	43500.00		
31	जिसमें से: लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं. (पीएनसीपीएस)			
32	जिसमें से: लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं. (शाश्वत ऋण लिखत)	43500.00		
33	फेज आउट फॉर्म- अतिरिक्त टियर-1 के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पूंजीगत लिखत.	4834.50	16115.00	
34	अनुबंधियों द्वारा जारी किए गए और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (राशि की अनुमति समूह एटी-1 में की गई है) अतिरिक्त टियर-1 लिखत (तथा सीईटी-1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं).			
35	जिसमें से: फेज आउट के अधीन अनुबंधियों द्वारा जारी की गई राशि			
36	विनियामक समायोजन के पहले अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	48334.50	16115.00	
37	निजी अतिरिक्त टियर-1 लिखतों में निवेश			
38	अतिरिक्त तैयार 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	312.10		{क्यू+एस का भाग }
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं जो विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर है तथा जहां बैंक की हिस्सेदारी जारी की गई संस्था की सामान्य शेयर पूंजी में 10% से अधिक नहीं है, की पूंजी में निवेश (प्रारम्भ में 10% से अधिक राशि)			



31 मार्च 2017 से उपयोग में लाए जाने वाले बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट				
क्र. सं.	मद	पात्र राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि	संदर्भ सं.
40	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, में महत्वपूर्ण निवेश. (पात्र शॉर्ट पोजिशन का निवल)			
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)			
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 की पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है.			
41बी	अधिकतर निजी वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 की पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है.			
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लागू किए गए विनियम समायोजन			
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए कूल विनियामक समायोजन	312.10	0.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1) पूंजी	48022.40		
44ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1) की गणना	48022.40		
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकरी एटी1)	545016.58		
46	प्रत्यक्षतः जारी किए सापेक्ष टियर 2 लिखत तथा समबद्ध स्टॉक अधिशेष	35565.00		
47	प्रत्यक्षतः जारी किए गए पूंजीगत लिखत जो फेज आउट टियर 2 के अधीन है	7500.00	25000.00	टी का भाग (ग्रेडफार्मिंग के पश्चात) + वी
48	टियर 2 लिखत (तथा सीईटी1 व एटी1 लिखत – जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए हैं) अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए तथा तृतीय पक्ष द्वारा धारित (राशि की अनुमति ग्रुप टियर 2 में दी गई है).			
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए फेज आउट लिखत के अधीन			
50	प्रावधान	34206.40		जी एवं अन्य प्रावधान
51	टियर 2 – पूंजी विनियामक समायोजन से पहले	77271.40		
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	50.80	0	{PART OF Q+S}
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, नियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं. जहां संस्था की जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी से बैंक की हिस्सदारी 10% से अधिक नहीं हैं. (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि)			
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र शॉर्ट स्थिति का निवल)			
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)			

31 मार्च 2017 से उपयोग में लाए जाने वाले बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	मद	पात्र राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि	संदर्भ सं.
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश			
56बी	जिसमें से: अपनी निजी पूर्ण वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है			
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	50.80		
58	टियर 2 पूंजी	77220.60		
59	कुलपूंजी (टीसी = टी1 + टी2)	622237.18		
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	4285858.21		
60ए	इसमें से: ऋण जोखिम भारित आस्तियां	370933.81		
60बी	इसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	24896.51		
60सी	इसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	36376.64		
पूंजी अनुपात एवं बफर्स				
61	सामान्य इक्विटी टियर (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.60%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.72%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.52%		
64	संस्था विशेष की बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रकटित न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिक्रम्य बफर आवश्यकता)	11.60%		
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	1.875%		
66	जिसमें से: बैंक विशेष की प्रतिक्रम्य बफर आवश्यकता	0.00		
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00		
68	बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.00		
राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर (यदि बासेल III से भिन्न हो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	7.375%		Inc CCB
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	8.875%		Inc CCB
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	10.875%		Inc CCB
कटौती के लिए निर्दिष्ट सीमा रेखा से नीचे की राशि (जोखिम भारित से पहले)				
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	0.00		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0.00		
74	बंधक सेवा अधिकार (संबन्धित कर देयताओं का निवल)	0.00		



31 मार्च 2017 से उपयोग में लाए जाने वाले बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट				
क्र. सं.	मद	पात्र राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि	संदर्भ सं.
75	अस्थायी अंतरों से निकाली आस्थगित कर आस्तियां (संबन्धित कर देयताओं का निवल)	74452.80		
टियर 2 में प्रावधानों के समावेश पर लागू उच्चतम सीमा				
76	मानकीकृत पद्धति के एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व)	34206.40		
77	मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों से समावेश की उच्चतम सीमा (3701288.47 का 1.25%)	46266.11		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन के लिए उच्चतम सीमा	लागू नहीं		
फेज-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022)				
80	फेज-आउट व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	शून्य		
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से ऊपर अतिरिक्त)	शून्य		
82	फेज-आउट व्यवस्था के अधीन एटी 1 लिखतों में वर्तमान उच्चतम सीमा	48334.50		
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से ऊपर अतिरिक्त)	11280.50		
84	फेज-आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	43065.00		
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से ऊपर अतिरिक्त)	17500.00		

टेम्पलेट के लिए नोट्स		
पंक्ति	विवरण	(रु. मिलियन में)
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	0.23
	आस्थगित कर देयता का निवल आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानि से जुड़े लोगों को छोड़कर)	74452.8
	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/331 आरबीआई/2015-16/331 दिनांक 1 मार्च 2016	51949.75
	पात्रता सीमा से अधिक में निवल डीटीए की कटौती	22503.28
	पंक्ति 10 में दर्शाए गए अनुसार योग	74453.03
19	यदि बीमा अनुबंधियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः घटाया नहीं गया है तथा इसकी जगह न्यूनतम 10 % कम करने के लिए इसे शामिल किया गया है, फलस्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	0.00

	जिसमें से – सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से – अतिरिक्त टियर -1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से – टियर -2 मौजी में वृद्धि	0.00
26b	यदि गैर-समेकित सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश में कटौती नहीं की जाती है इसलिए जोखिम भारित है.	
	(i) सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी में वृद्धि	100.10
	(ii) जोखिम भारित संपत्ति में वृद्धि	250.25
50	पात्र प्रावधान टियर-2 पूंजी में शामिल हैं	34206.39
	पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व टियर -2 पूंजी में शामिल है	0.00
	कुल पंक्ति 50	34206.39

टेबल डीएफ -12: पूंजी का समायोजन- समाधान आवश्यकताएं

(रु मिलियन में)

	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार	समेकन के
		तुलन-पत्र	विनियामक क्षेत्र के
		31.03.2019	अंतर्गत तुलन-पत्र
			31.03.2019
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	5303.64	5303.64
	आरक्षित एवं अधिशेष	494237.56	482600.18
	अल्प संख्यक हित	3413.65	3413.65
	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	50420.00	50420.00
	कुल पूंजी	502954.85	491317.48
ii	जमाराशियां	6655886.85	6655349.24
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	551715.71	551733.17
	जिसमें से : ग्राहक जमाराशियां	6104171.14	6103616.07
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	0.00	0
	जिसमें से : भारत में स्थित शाखाओं से जमाराशियां	5251427.05	5251800.30
	जिसमें से : भारत से बाहर स्थित जमाराशियां	1404459.80	1403548.95
iii	उधारियों	688675.32	654719.67
	जिसमें से : भारतीय रिजर्व बैंक से	275000.00	275000.00
	जिसमें से : बैंकों से	71191.13	71867.47
	जिसमें से : अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	79301.85	44586.01
	जिसमें से : भारत से बाहर उधार	139002.34	139086.20
	जिसमें से : पूंजीगत लिखत	124180.00	124180.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	298782.43	232040.69
	कुल	8196719.45	8083847.09
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	282253.46	282241.80
	बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	696594.94	692599.75
ii	निवेश:	1957162.40	1876145.86
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	1714563.49	1699081.26
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	35496.00	127.86
	जिसमें से: शेयर	33715.79	22672.02
	जिसमें से: डिबेंचर एवं बॉन्ड	85375.87	64035.80



	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र
	जिसमें से: अनुषंगिया/ संयुक्त उद्यम/ सहायक इकाइयां	10179.54	12990.77
	जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पेपर्स, म्युचुअल फंड इत्यादि)	77831.72	77238.15
iii	ऋण एवं अग्रिम	4842148.11	4820200.15
	जिसमें से: बैंक को ऋण एवं अग्रिम	535608.14	535608.14
	जिसमें से: ग्राहक को ऋण एवं अग्रिम	4306539.97	4284592.01
iv	अचल आस्तियां	71437.08	71294.36
v	अन्य आस्तियां	344884.39	341365.18
	जिसमें से: साख एवं अमूर्त आस्तियां	270418.87	266901.25
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियां	74465.52	74463.94
vi	समेकन संबंधी साख	2239.08	0.00
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	0.00	0
	कुल आस्तियां	8196719.45	8083847.08

चरण 2

(राशि मिलियन रु. में)

	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र		संदर्भ सं
		31.03.2019	31.03.2019	
ए	पूंजी एवं देयताएं			
i	प्रदत्त पूंजी	5303.64	5303.64	
	जिसमें से: सीईटी1 के लिए पात्र राशि	5303.64	5303.64	ए
	जिसमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि			
	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि**	50420.00	50420.00	
ii	आरक्षित एवं अधिशेष	494237.56	482600.18	
अनुसूची 2	सांविधिक आरक्षित निधि	98014.19	97644.94	बी
	पूंजी आरक्षित निधि	61939.68	61939.68	सी
	शेयर प्रीमियम	161325.55	160753.55	डी
	सामान्य आरक्षित निधि	0.00		
	आई.टी. अधिनियम, 1961 की धारा 36 (I) (VII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	0.00		
	आई.टी. अधिनियम की धारा 36 (I) (VII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	49724.45	49724.45	ई
	राजस्व तथा अन्य आरक्षित	88524.11	78379.68	एफ
	निवेश आरक्षित खाता	631.62	631.62	जी
	विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षित निधि	22983.94	23481.99	एच
	अनाबंटित लाभ	11094.02	10044.29	आई
	अल्प शेयर	3413.65	3413.65	जे
	कुल पूंजी	553374.85	541737.48	
ii	जमाराशियां	6655886.85	6655349.24	
अनुसूची 3	बैंक से मांग जमा	10383.64	10383.65	
	अन्य से मांग जमा	471917.39	472069.96	
	बचत बैंक जमा	1821200.70	1821195.70	
	बैंकों से मीयादी जमा	541332.07	541349.52	
	अन्य से मीयादी जमा	3811053.06	3810350.42	

	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं
	भारत में स्थित शाखाओं से जमा	5251427.06	5251800.30	
	भारत से बाहर स्थित शाखाओं से जमा	1404459.79	1403548.95	
iii	उधार	688675.32	654719.67	
अनुसूची 4	भा.रि.बैं. (भा.रि.बैं. अधिनियम की शर 19 के अंतर्गत)	275000.00	275000.00	
	बैंकों से	71191.13	71867.47	
	अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	79301.85	44586.01	
	नवोन्मेषी नियत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	59615.00	59615.00	यू
	हाइब्रिड के रूप में जारी संक्रमित ऋण पूंजी लिखत			वी
	गौण बॉन्ड	64565.00	64565.00	टी
	भारत के बाहर उधार	139002.34	139086.20	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	298782.43	232040.69	
अनुसूची 5	जिसमें से: देय बिल	19266.90	19263.87	
	जिसमें से: इंटर ऑफिस समायोजन (निवल)	10831.25	10831.25	
	जिसमें से: आस्थगित कर देयता	24.36	24.04	
	जिसमें से: उपचित ब्याज	38481.04	37297.70	
	जिसमें से: मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान	32210.081	32121.19	एक्स
	जिसमें से: अन्य (प्रावधान सहित)	197968.77	132502.64	डबल्यू
	कुल देयताएं	8196719.45	8083847.08	
बी	आस्तियां			
i	कुल नकद एवं बैंक बैलेन्स	978848.40	974841.54	
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	282253.46	282241.80	
	बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	696594.93	692599.74	
ii	निवेश	1957162.40	1876145.86	
अनुसूची 8	सरकारी प्रतिभूतियां	1714563.49	1699081.26	एन
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	35496	127.86	ओ
	शेयर	33715.78	22672.02	पी
	डिबेंचर एवं बॉन्ड	85375.86	64035.80	क्यू
	अनुषंगिया और/ अथवा संयुक्त उद्यम भारत एवं विदेश में	10179.54	12990.77	आर
	अन्य निवेश	77831.716	77238.15	एस
iii	ऋण एवं अग्रिम	4842148.11	4820200.15	
	बढ़ाकृत एवं खरीदे गये बिल	264010.02	263907.32	
	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	2079424.13	2079226.07	
	मीयादी ऋण	2498713.94	2477066.76	
iv	अचल आस्तियां	71437.08	71294.36	
v	अन्य आस्तियां	344884.39	341365.18	
अनुसूची 11	जिसमें से: सुनाम एवं अमूर्त आस्तियां			एल
	जिसमें से: सुनाम			
	अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर)	270418.87	266901.25	
	आस्थगित कर आस्तियां	74465.52	74463.93	एम



	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं
vi	समेकन संबंधी सुनाम	2239.08	0.00	
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	8196719.45	8083847.08	

चरण 3

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1): लिखतों एवं प्रारक्षित निधियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई नियामक पूंजी का घटक	संदर्भ संख्या (डीएफ़ -12 के संबंध में: चरण 2)
1	सीधे जारी किए गए पात्र सामान्य शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए बराबर) पूंजी सहित संबंधित शेयर अधिशेष	217049.19	ए+डी
2	प्रतिधारित उपार्जन	265689.23	बी+ई+एफ़+आई+(75%एच)+तिमाही के लिए जे-प्रॉफ़िट का रु. 1094.5 मिलियन अल्पांश शेयर सहित
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य प्रारक्षित)	38998.12	सी (घटाएं) पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित + पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित का 45%
4	सीईटी 1 से हटाए जाने के अधीन सीधे जारी की गई पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि)		
6	नियामक समायोजनों से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	521736.54	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सुनाम (संबंधित कर देयता का निवल)		

टेबल डीएफ़ -13 विनियामक पूंजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताएं

ऋण पूंजी लिखतों संबंधी प्रकटीकरण तथा ऋण पूंजी लिखतों के नियम एवं शर्तों को अलग से प्रकट किया गया है. प्रकटीकरण में जाने के लिए यहां क्लिक करें.

टेबल डीएफ़ -14 विनियामक पूंजीगत लिखतों के सभी नियम एवं शर्तें:

पूंजीगत लिखतों का विवरण अलग से दर्शाया गया है. पूंजीगत लिखतों के नियम एवं शर्तों को देखने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

क्र. सं.	लिखत
1	टियर I (आईपीडीआई) एसआर -II
2	टियर I (आईपीडीआई) एसआर -III
3	बासेल III एटी I एसआर-V
4	बासेल III एटी I एसआर -VI
5	बासेल III एटी I एसआर -VII
6	बासेल III एटी I एसआर -VIII
7	बासेल III एटी I एसआर -IX

क्र. सं.	लिखत
8	बॉन्ड सीरीज –XXI
9	बॉन्ड सीरीज –XI
10	टियर I (आईपीडीआई) एसआर –IV
11	बॉन्ड सीरीज –XII
12	बॉन्ड सीरीज –XIII
13	बॉन्ड सीरीज –XIV
14	बॉन्ड सीरीज –XV
15	बॉन्ड सीरीज –XVI
16	बॉन्ड सीरीज –XVII
17	बॉन्ड सीरीज –XVIII
18	बॉन्ड सीरीज –XIX
19	बॉन्ड सीरीज –XX

टेबल डीएफ़ -15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

चूंकि बैंक ऑफ़ बड़ौदा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, भारतीय रिज़र्व के परिपत्र सं. डीबीओडी.एनओ.बीसी.72/29.67.001/2001-12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अनुसार टेबल डीएफ़ – 15 हमारे ऊपर लागू नहीं है।

टेबल डीएफ़ -16: इक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति का प्रकटीकरण

पब्लिक एवं प्राइवेट इक्विटी प्रतिभूतियों में ग्रुप सीधे निवेश करता है; साथ ही कर्ज प्रतिभूति एवं ऋणों, पब्लिक एवं प्राइवेट इक्विटी प्रतिभूतियां एवं रियल स्टेट एंटीटी में निवेश करता है। इन निवेशों का स्वरूप सामान्यतः दीर्घकालिक होता है और मुख्य रूप से पूंजी मूल्यवृद्धि उद्देश्यों के लिए धारित किया जाता है, अतः ये बैंकिंग बही इक्विटी निवेशों के रूप में नियामक पूंजी उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) जिसमें शामिल हैं:

विदेशी एवं भारतीय अनुबंधियों, संयुक्त उद्यमों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सभी इक्विटी एचटीएम निवेश। ये नीतिपरक प्राकृत के हैं।

एचटीएम मूल्यांकन पद्धति

परिपक्वता पर धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिन्हित करना आवश्यक नहीं है और उसे अधिग्रहण की लागत पर माना जाएगा जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। इस मामले में प्रीमियम परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित होना चाहिए। चूंकि बैंक लगातार भारत औसत लागत (डबल्यूएसी) की लेखांकन पद्धति को अपना रहा है अतः शिफ्टिंग और प्रीमियम परिशोधन की गणना के उद्देश्य से भारत औसत लागत (डबल्यूएसी) अधिग्रहण की लागत होगी।

बैंक अनुबंधियों/ संयुक्त उद्यम में किए गए निवेशों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा किसी भी हास को मानता है, जो परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत शामिल हों और उनका प्रावधान किया गया हो। ऐसे हास को एकल रूप में निर्धारित किया जाए और इसके लिए प्रावधान किया जाए।

	मद	राशि (रु. लाखों में)
1	निवेश	361010.94
1.1	तुलन-पत्र के अनुसार	361010.94
1.2	उचित मूल्य	361010.94
	उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर की कीमत उचित मूल्य से वास्तव में भिन्न है।	-
2	निवेश के प्रकार	
2.1	एचएमटी	
2.1.1	सार्वजनिक रूप से ट्रेड की गई	-
2.1.2	निजी रूप से धारित	361010.94
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा समापनों से उत्पन्न संचयी वसूली प्राप्तियां (हानियां)	
4	कुल अवसूलीकृत प्राप्तियां (हानियां)*	-
5	कुल अंतर्निहित पुनर्मूल्यांकन प्राप्तियां (हानियां)**	-
6	उपरोक्त में से कोई भी राशि जो टीयर 1 और/ या टीयर 2 पूंजी में शामिल है।	



	मद	राशि (रु. लाखों में)
7	विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी परिवर्तन अथवा पुराने प्रावधानों के अधीन बैंक की कार्य पद्धति, कुल राशि तथा इक्विटी निवेश के प्रकार के अनुसार उचित इक्विटी समूहीकरण द्वारा अलग-अलग की गई पूंजी आवश्यकताएं.	

टेबल डीएफ़ -17- लेखांकन आस्तियों व लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

लीवरेज अनुपात की गणना पूंजी एवं कुल एक्सपोजर की परिभाषा का उपयोग कर की जाती है. बैंक के लीवरेज अनुपात की गणना निम्नलिखित समेकित फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है:

यथा 31.03.2019 को लीवरेज अनुपात		
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (समूह)		
टेबल डीएफ़ -17- लेखांकन आस्तियों व लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश		
क्र. सं.	मद	(राशि रु. मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	80,83,846.49
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक इकाइयों में निवेश के लिए समायोजन, जो लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किए गए हैं परंतु विनियामक समेकन से बाहर हैं.	
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल की गई वैश्विक आस्तियों के लिए समायोजन, परंतु जो लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं है.	22,815.38
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत समायोजन के लिए	1,05,018.44
5	प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहारों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपों एवं उसके समान सुरक्षित ऋण)	
6	तुलन-पत्र बाह्य मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर की क्रेडिट समकक्ष राशियों में रूपान्तरण)	6,74,482.23
7	अन्य समायोजन	
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	88,40,531.78

डीएफ़-18 - लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण नमूना

(राशि रु. मिलियन में)

	लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण नमूना मद	मार्च, 2019
		लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क
ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोजर		
1	तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव्स तथा एसएफ़टी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को मिलाकर)	80,83,846.49
2	(परिचालित बासेल III टीयर 1 पूंजी में घटाई गई आस्ति राशियां)	-22,815.38
3	तुलन-पत्र का कुल एक्सपोजर	80,61,031.11
डेरिवेटिव एक्सपोजर		
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों में सम्मिलित प्रतिस्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी अंतर मार्जिन का निवल)	42,003.35
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों में सम्मिलित पीएफ़ई के लिए वर्धित राशियां	63,015.08
6	डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रास-अप बशर्ते कि जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार तुलनपत्र आस्तियों से घटाई गई हों	-
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में नकदी अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	-
8	(क्लाइंट-क्लीयर्ड ट्रेड एक्सपोजर की छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	-
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	-



10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफसेट एवं एड-ऑन कटौती)	-
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर	1,05,018.44
प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार एक्सपोजर		
12	सकल एसएफ़टी आस्तियां (शुद्ध करने की एमओ स्वीकृति सहित), बिक्री लेखांकन संव्यवहारों के लिए समायोजन करने के बाद	-
13	(सकल एसएफ़टी आस्तियों की नकदी देय तथा नकदी प्राप्य की शुद्ध की गई राशि)	-
14	एसएफ़टी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	-
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोजर	-
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार एक्सपोजर	-
अन्य तुलन-पत्र ब्राह्म एक्सपोजर		
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	21,10,605.20
18	(ऋण समकक्ष राशियों के रूपांतरण के लिए समायोजन	-14,36,122.97
19	तुलन-पत्र बाह्य मर्दे	6,74,482.23
पूँजीगत एवं कुल एक्सपोजर		
20	टीयर 1 पूँजी	5,45,016.58
21	कुल एक्सपोजर	8840531.78
लीवरेज अनुपात		
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	6.16%